लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३१, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXI, 1964/1886 (Saka)

[२९ अप्रैल से ६ मई, १९६४/९ से १६ वैशाख, १८८६ (शक)]

April 29 to May 6, 1964/Vaishakha 9 to Vaisakha 16, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

Preservation Unit
1-5-92
Fumigated On 11/12/83
Parliament Library

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६६ तक हैं)

(Volume XXXI contains Nos. 61 to 66)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi]

अंक ६५—मंगलवार, ५ मई, १९६४/१५ वैशाख, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५०२३—४७

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३०६	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को भेजे जाने वाले पत्र .	५०२३—२५
१३०७	लौह अयस्क के निर्यात के लिये पत्तनों का यंत्रीकरण .	५०२५—२७
१३०९	अमरीकी भारवाही जहाज की भारतीय मत्स्य-नौकाओं के साथ टक्कर	५०२७—२८
१३१०	दूर मुद्रक यंत्र	५०२८—३०
१३११	नाशिकीटों द्वारा फसलों को हानि . . .	५०३०—३४
१३१२	खाद्य व्यापार पर नियंत्रण	५०३४—३६
१३१३	अधिकारियों के लिये रेलवे पास . . .	५०३७—३९
१३१४	सघन कृषि कार्यक्रम	५०३९—४२
१३१५	रेलवे कर्मचारी	५०४२—४३

अल्पसूचना

प्रश्न संख्या		
२४	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी . . .	५०४३—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५०४७—७७

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०८	केन्द्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था .	५०४७—४८
१३१६	बिहार में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के प्रयत्न . .	५०४८
१३१७	डाक जीवन बीमा	५०४९
१३१८	पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन अमरीकी कृषि मंत्री की भारत यात्रा	५०४९—५०
१३१९	आइसक्रीम में हानिकारक चीज़ों का पाया जाना . .	५०५०
१३२०	डाक और तार विभाग के अधिकारियों के दौरे . .	५०५०—५१
१३२१	त्रिपुरा के साथ रेल सम्पर्क	५०५१
१३२२	"पैकेज प्रोग्राम"	५०५१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 65—*Tuesday, May* 5, 1964 / *Vaisakha* 15, 1886 (*Saka*)

Oral Answers to Questions 5023—5047

*Starred Questions Nos.	Subject	Page
1306	Letters for Andaman and Nicobar Islands	5023—25
1307	Mechanisation of Ports for Export of Iron Ore	5025—27
1309	Collision of U.S. Freighter with Indian Fishing Craft	5027—28
1310	Teleprinter Machines	5028—30
1311	Damage caused to Crops by Pests	5030—34
1312	Control in Food Trade	5034—36
1313	Railway Passes for Officers	5037—39
1314	Intensive Agricultural Programme	5039—42
1315	Railway Employees	5042—43

Short Notice Question No.		
24	Refugees from East Pakistan	5043—47

Written Answers to Questions 5047

Starred Questions Nos.		
1308	Central Institute for Training and Research in Panchayati Raj	5047—48
1316	Attempts to derail trains in Bihar	5048
1317	Postal Life Insurance	5049
1318	Visit of U.S. Agriculture Secretary under PL 480 Programme	4049—50
1319	Harmful Contents Found in Ice Cream	5050
1320	Travelling on Duty by P & T Officials	5050—51
1321	Rail Link with Tripura	5051
1322	Package Programme	5051

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८१४	डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना .	५०५१–५२
२८१५	अविभागीय तार-संकेतक (टेलीग्राफिस्ट्स)	५०५२–५३
२८१६	अविभागीय टेली-टाइपिस्ट्स .	५०५३–५४
२८१७	सड़क विकास योजना .	५०५४
२८१८	यंत्रोकृत मछुवा नाव द्वारा मछली पकड़ना .	५०५४–५५
२८१९	सहकारी समितियों की लेखा परक्षण पद्धति	५०५५
२८२०	राज्यों को सहायता	५०५५
२८२१	सहकारी समितियों के निक्षेप .	५०५५
२८२२	गन्ना पेरने वाले कोल्हुओं का प्रयोग	५०५६
२८२३	भाप के इंजन के ड्राइवर .	५०५६
२८२४	उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारी	५०५७
२८२५	देवरिया सदर स्टेशन पर नीचे का पुल .	५०५७
२८२६	बीमाकृत डाक के लिफाफों का चुराया जाना	५०५८–५९
२८२७	कमलाही फार्म (हिमाचल प्रदेश)	५०६०
२८२८	रेडियो लाइसेंस . .	५०६०
२८२९	धोलपुर में लाल गेहूं का दिया जाना	५०६०–६१
२८३०	कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरें . .	५०६१
२८३१	इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें	५०६१–६२
२८३२	उड़ीसा में टेलीफोन से आमदनी . .	५०६२
२८३३	रामकृष्णपुरम नई दिल्ली को और वहां से बस सर्विस	५०६२–६३
२८३४	दिल्ली दुग्ध योजना	५०६३
२८३५	दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश	५०६३–६४
२८३६	मद्रास में विद्युत चालित रेलगाड़ियों से व्यक्तियों का गिर जाना	
२८३७	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की स्मृति में डाक टिकटें . .	५०६४–६५
२८३८	दूर संचार इंजीनियर	५०६५
२८३९	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के रेलवे कर्मचारी	५०६५–६६
२८४०	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना . .	५०६६
२८४१	लम्बी दूरी की नयी रेलें	५०६७
२८४३	टेलीग्राफमैन को बकाया	५०६७–६८
२८४४	नई टेलीफोन फैक्टरी	५०६८
२८४५	रियासी डाक प्रशिक्षण केन्द्र .	५०६८
२८४६	पश्चिम बंगाल में चावल की कमी	५०६८–६९
२८४७	रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	५०६९
२८४८	लोह अयस्क लाने ले जाने के लिए नदी तथा रेल मार्ग .	५०६९–७०
२८४९	पंचरत्न से गौहाटी तक रेलवे लाइन .	५०७०

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2814	Confirmation of S.C. and S.T. Staff in the P & T Deptt.	5051-52
2815	Non-departmental Telegraphists	5052-53
2816	Non-departmental Tele-typists	5053
2817	Road Development Plan	5053-54
2818	Mechanised Trawler Fishing	5054
2819	Audit System of Co-operative Societies	5054-55
2820	Assistance to States	5055
2821	Co-operative Deposits	5055
2822	Use of Cane Crushers	5055
2823	Steam Locomotive Drivers	5056
2824	Employees of Northern Railway Accounts Department	5056
2825	Under-bridge at Deoria Sadar Station	5057
2826	Theft of Insured Postal Covers	5057
2827	Kamlahi Farm (Himachal Pradesh)	5058-59
2828	Radio Licences	5060
2829	Supply of Red Wheat in Dholpur	5060
2830	Electricity Rates for Agricultural Purposes	5060-61
2831	I.A.C. Services	5061
2832	Telephone Revenue in Orissa	5061-62
2833	Bus Service from and to Ramakrishnapuram, New Delhi	5062
2834	Delhi Milk Scheme	5062-63
2835	Delhi Guest Control Order	5063
2836	Falling of Persons from Electric Trains at Madras	5063-64
2837	Stamp in honour of Netaji Subhas Chandra Bose	5064-65
2838	Tele-Communication Engineers	5065
2839	S.C. and S.T. Railway Employees	5065-66
2840	Allotment of Quarters to P & T Staff	5066
2841	New Long Distance Trains	5067
2843	Arrears to Telegraphmen	5067-68
2844	New Telephone Factory	5068
2845	Residential Postal Training Centres	5068
2846	Rice Shortage in West Bengal	5068-69
2847	Radio Telephone Link	5069
2848	River-Cum-Rail Route for Transporting Iron Ore	5069-70
2849	Railway Line from Pancharatna to Gauhati	5070

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८५०	नौगांग डाकखाना	५०७०
२८५१	टेलीफोन और तार सम्बन्ध	५०७१
२८५२	भारत-लेबनान विमान वार्ता	५०७१
२८५३	रेलवे सम्पत्ति का नुकसान	५०७१–७२
२८५४	चावल और धान की वसूली	५०७२
२८५५	पूना का कृषि कालिज	५०७२–७३
२८५६	इस्पात के सामान की चोरी	५०७३
२८५७	दिल्ली में रेलवे पदाधिकारियों का पारगमन शिविर	५०७३
२८५८	कृषि के लिये उत्पादिता परिषद्	५०७३–७४
२८५९	उपयोगिता केन्द्र	५०७४
२८६०	डाक बचत बैंक खाते	५०७४–७५
२८६२	हैदराबाद-भुवनेश्वर-कलकत्ता विमान सेवा	५०७५
२८६३	सहकारी समितियां अधिनियम	५०७५
२८६४	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना की जांच	५०७५
२८६५	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	५०७५–७६
२८६६	खाद्यान्न का उत्पादन	५०७६
२८६७	पश्चिम जर्मनी से उर्वरक	५०७७
२८६९	दिल्ली-श्रीनगर वायुयान सेवा	५०७७
२८७०	छोटे ट्रैक्टर	५०७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र		५०७७—७९
संसदीय समितियां		
कार्यवाही का सारांश		५०८०
राज्य सभा से सन्देश		
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		
चवालीसवां प्रतिवेदन		५०८०
याचिका समिति		
दूसरा प्रतिवेदन		५०८१
लोक-सभा के आगामी सत्र के बारे में		५०८१
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक		५०८१—९२
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—		५०८१
डा० द० स० राजू		५०८१–८२
श्री दी० चं० शर्मा		५०८२–८३
डा० उ० मिश्र		५०८३
डा० सरोजिनी महिषी		५०८३–८४

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2850	Nowgong Post Office	5070
2851	Telephone and Telegraph Connections	5071
2852	India-Lebanon Air Talks	5071
2853	Damage to Railway Property	5071-72
2854	Procurement of Rice and Paddy	5072
2855	Agriculture College, Poona	5072-73
2856	Theft of Steel Goods	5073
2857	Railway Officers' Transit Camp in Delhi	5073
2858	Productivity Council for Agriculture	5073-74
2859	Utility Centres	5074
2860	Postal Savings Bank Accounts	5074-75
2862	Hyderabad-Bhubneshwar-Calcutta Air Service	5075
2863	Co-operative Acts	5075
2864	I.A.C. Viscount Crash Enquiry	5075
2865	Road Accidents in Delhi	5075-76
2866	Foodgrains Production	5076
2867	Fertilisers from West Germany	5077
2869	Delhi-Srinagar Air Service	5077
2870	Small Tractors	5077

Papers laid on the Table 5078-79

Parliamentary Committees
Minutes 5080

Messages from Rajya Sabha 5080

Committee on Private Members' Bills and Resolutions
Forty-fourth Report presented 5080

Committee on Petition
Second Report presented 5081

Re: Next Session of Lok Sabha 5081

Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill 5081—92
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha 5081
Dr. D.S. Raju 5081-82
Shri D.C. Sharma 5082-83
Dr. U. Misra 5083
Dr. Sarojini Mahishi 5083-84

भैयज तथा श्रंगार सामग्री (संशोधक) विधयक)--जारी	विषय	पृष्ठ
	श्री मोहसिन	५०८४—८५
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	५०८५—८६
	डा० च० भा० सिंह	५०८६
	श्री अ० त्रि० शर्मा	५०८६--८८
	श्री रामेश्वरानन्द	५०८८
	श्री सिंहासन सिंह	५०८८—८९
	श्री बालकृष्णन	५०८९
	श्री सोनावने	५०९०—९१
	खण्ड २ से ३२ और १	५०९२
	पारित करने का प्रस्ताव	५०९२
	डा० द० स० राजू	५०९२
	भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	५०९२—५१०१
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५०९२
	श्री सें० वें० रामस्वामी	५०९२—९३
	श्री नम्बियार	५०९३
	श्री कृ० ल० मोरे	५०९३—९४
	श्री च० का० भट्टाचार्य	५०९४—९५
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	५०९५
	श्री म० प० स्वामी	५०९५—९६
	श्री मोहसिन	५०९६
	श्री मुत्तुगौंडर	५०९६—९७
	श्री स० मो० बनर्जी	५०९७—९९
	खण्ड २ से ४ और १	५१००
	पारित करने का प्रस्ताव	५१००
	श्री सें० वें० रामस्वामी	५१००—०१
	दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) विधेयक	५१०१ ०२
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५१०१
	श्री हुमायून कबिर	५१०१—०२
	श्री स० मो० बनर्जी	५१०२
	श्री श्यामलाल सर्राफ	५१०२

Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill—*contd.* Subject Page

Shri Mohsin . . . . 5084—85
Shri Gauri Shankar Kakkar 5085—86
Shri Chandrabhan Singh . 5086
Shri A.T. Sarma . 5086—88
Shri Rameshwaranand . 5088
Shri Sinhasan Singh 5088—89
Shri Balakrishnan 5089
Shri Sonavane 5090—91

Clauses 2 to 32 and 1 5092

Motion to pass 5092

Dr. D.S. Raju . 5092

Indian Railway (Amendment) Bill 5092—5101
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha 5092
Shri S.V. Ramaswamy . . . 5092—93
Shri Nambiar . . 5093
Shri K.L. More . . 5093—94
Shri C.K. Bhattacharyya . 5094—95
Shri U.M. Trivedi . . 5095
Shri M.P. Swamy 5095—96
Shri Mohsin . 5096
Shri Muthu Gounder 5096—97
Shri S.M. Banerjee 5097—99

Clauses 2 to 4 and 1 5100
Motion to pass 5100
Shri S.V. Ramaswamy . 5100—01

Durgah Khawaja Saheb (Amendment) Bill 5101—02
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha 5101
Shri Humayun Kabir . . . . . 5101—02
Shri S.M. Banerjee 5102
Shri Sham Lal Saraf . . 5102

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार ५ मई, १९६४/१५ वैशाख, १८८६ (शक)

Tuesday 5, 1964 / *Vaisakha* 15, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यरह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को भेजे जाने वाले पत्र

*१३०६. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम तौर पर अन्दमान द्वीपसमूह में और विशेष रूप से पोर्ट ब्लेयर में रहने वाले व्यक्तियों को भेजे जाने वाले बहुत से पत्र प्रेषितियों को बहुत विलम्ब से बांटे जाते हैं क्योंकि स्थानीय पुलिस उन पत्रों का सैंसर करती है ;

(ख) क्या डाकखाना अधीक्षक, बैरकपुर (कलकत्ता) को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि यह समाचार बहुत से समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था और स्वयं पोस्टमास्टर जनरल ने माफी मांगी थी और यह कहा था

कि ऐसी बात हुई है और उसके लिये उन्हें खेद है ? क्या माननीय मंत्री इन तथ्यों को जानते हैं अथवा नहीं ?

श्री भगवती : कुछ समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित तो हुए थे ; परन्तु वास्तव में पत्रों को राह में रोक कर देखने के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ । यह सच है कि कुछ हद तक यह विलम्ब डाक परिवहन की वर्तमान व्यवस्था के कारण होता है । सप्ताह में एक बार प्रथम श्रेणी की डाक और वायुसेवा-अधिकृत द्वितीय श्रेणी की डाक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा ले जाई जाती है और माह में एक बार भारतीय वायु सेना की विमान सेवा द्वारा तथा दो बार कलकत्ता से मद्रास तक पानी के जहाजों द्वारा भी ले जाई जाती है । इसलिये यह विलम्ब अंशतः डाक परिवहन की इस व्यवस्था के कारण है, पत्रों को राह में रोक कर इनका सैंसर किये जाने का कारण नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अधिक अच्छा नहीं रहता यदि पहली ही बार में माननीय मंत्री यह कह देते कि विलम्ब तो होता है परन्तु वह पत्रों को राह में रोक कर सैंसर किये जाने के कारण नहीं है अपितु अन्य कुछ कारणों से है ?

श्री भगवती : प्रश्न तो यह था कि क्या राह में पत्रों को रोक कर सैंसर किये जाने के कारण विलम्ब होता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि कुछ पत्रों को पुलिस वाले डाकखानों से राह में रोक कर पढ़ने के लिये ले जाते हैं ; यदि ऐसी बात है तो नियम को क्यों तोड़ा गया है और इस के लिये क्यों अनुमति दी गई है ?

श्री भगवती : भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा २६ के अधीन डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं को राह में रोककर देखने सम्बन्धी नीति से केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के गृह-कार्य मंत्रालयों का सम्बन्ध है । डाक विभाग से इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं । कुछ मामलों में डाक से भेजी जाने वाली वस्तुयें राह में रोककर देखी गई थीं अथवा नहीं मैं यह नहीं बता सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरा प्रश्न इस से बिलकुल भिन्न था । मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इन पत्रों को पुलिस अधिकारियों के वास्ते डाकखानों से बाहर ले जाने का अधिकार पोस्ट-मास्टरों को है ।

श्री भगवती: मैं इन सब बातों को प्रगट नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना लोकहित में नहीं होगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : Is it a fact that P.& T. Department asked for 300 sq. feet of land at Andmans for construction of their office building and it was refused while Maharaja of Patiala was allotted 300 squire miles of land in lieu of the propaganda carried on by him in favour of the Congress in patti elections and if so, what were the reasons of allotting him so much of land and refusing even a small plot of land to P. & T. Department?

Mr. Speaker : Because delivery of letters is being delayed.

Shri Onkar Lal Berwa : They refused to give even a small plot of land for post office building and allotted a large tract to Maharaja of Patiala without any sound cause.

Mr. Speaker : The question relates to delay in delivery of letters and the hon. Member is refering to Maharaja of Patiala.

Shri Onkar Lal Berwa : Because he was given 300 sq. mile of land free of cost for propagating in favour of Congress.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री कपूर सिंह ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विदेशी डाक के अविवेकपूर्ण रूप से सैंसर किये जाने से प्राय: केवल विलम्ब ही नहीं होता अपितु डाक की उठाईगिरी और जब्ती की घटनायें भी होती हैं ; यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारा प्रश्न केवल अन्दमान द्वीपसमूह की डाक से ही सम्बन्धित है ।

श्री कपूर सिंह : यह प्रश्न पत्रों के सैंसर किये जाने के बारे में है । जब कभी मैं पत्र लिखता हूं तो मेरे अपने पत्र भी केवल विलम्ब से ही नहीं बांटे जाते अपितु चुरा भी लिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी ।

श्री कपूर सिंह: क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विधि के किन उपबन्धों के अधीन इस प्रश्न में उल्लिखित डाक को मिला कर किसी भी डाक का सैंसर किया जाता है और क्या सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया है कि सरकार के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार से पत्रों आदि का सैंसर करने के लिये वे कोई वैधिक कसौटी निर्धारित करें ?

श्री भगवती : मैंने केवल यह बताया था कि भारतीय डाक अधिनियम की धारा २६ के अधीन गृह-कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों के गृह-कार्य विभाग अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकार डाक विभाग को डाक द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं को राह में रोक कर सैंसर करने के लिये कह सकता है । किन किन मामलों में उन्होंने ऐसा किया है इसके विवरण में मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह प्रगट करना लोकहित के विरुद्ध होगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । इस प्रश्न में हमारा सम्बन्ध केवल अन्दमान में भेजी जाने वाली डाक के विलम्ब से बांटे जाने से है, आम तौर पर पत्रों को रोक कर सैंसर किये जाने से नहीं ।

लौह अयस्क के निर्यात के लिये पत्तनों का यन्त्रीकरण

+

*१३०७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रें० वेंकटासुब्बय्या : }

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में लौह अयस्क के निर्यात के लिये पूर्णत: यंत्रीकृत पत्तनों का विकास करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किन पत्तनों का विकास किया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय होगा और क्या इस व्यय में कुछ विदेशी मुद्रा भी शामिल है और इस विदेशी मुद्रा की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकावय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८६३/६४]**

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि राज्य सरकार ने लौह अयस्क के बर्थ और अयस्क लदान संयंत्र के निर्माण में ठेके दे दिये हैं । क्या इस परादीप पत्तन का निर्माण कार्य राज्य सरकार को सौंपा हुआ है अथवा केन्द्रीय सरकार को ?

श्री मुहीउद्दीन : परादीप पत्तन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है और इस के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दी जा रही है ।

श्री सुबोध हंसदा : परादीप पत्तन के विकास के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विश्व बैंक को आवेदन पत्र भेजा गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह आवेदन-पत्र कब भेजा गया था और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री मुहीउद्दीन : अभी तक हमें कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या परादीप पत्तन का विकास करने के साथ साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाली रेलवे लाइनें भी वास्तव में बना दी गई हैं जिस से कि पत्तन में हुई प्रगति के साथ साथ तथा अनुसार ही पत्तन पर अयस्क के लादने और उतारने के कार्य की भी प्रगति हो सके ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरा विचार है कि विकास से सम्बन्धित कार्यवाहियों रेलवे विभाग द्वारा भी की जा रही हैं । रेलवे लाइनों के बिना पत्तन का निर्माण करने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री पें०वेंकटासुब्बय्या : लौह अयस्क के निर्यात के लिये इन पत्तनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार पूर्वी तट पर एक दूसरे पत्तन अर्थात् काकिनाडा का विकास करने का है, जोकि लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यदि हां, इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मुहीउद्दीन : पूर्वी तट पर, ६ से ७ टन तक लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये विशाखा-पटनम का विकास किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन के पूछे गये पत्तन का विकास किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री मुहीउद्दीन : जी, नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा: विवरण में उन छः पत्तनों का बहुत अच्छा चित्रण किया हुआ है जिस का कि इस सम्बन्ध में विकास किया जाना है । परन्तु ये सभी १९६४ में या १९६५ अथवा १९६८ में विकसित किये जाने हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि लौह अयस्क के निर्यात के लिये वर्तमान क्षमता कितनी है और क्या वह पर्याप्त है अथवा नहीं ?

श्री मुहीउद्दीन : इस समय ७५ से ७९ लाख टन तक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और इन में से अधिकांश पत्तनों पर या तो श्रमिकों के द्वारा अथवा अंशत: श्रमिकों के द्वारा और अंशत: यंत्रों द्वारा, जैसे क्रेन इत्यादि द्वारा, माल लादा उतारा जाता है। वास्तव में माल लादने उतारने की यह पद्धति संतोषप्रद नहीं है। इसलिये यंत्रों द्वारा ही लौह अयस्क को लादने और उतारने के कार्य को अधिक करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या विशाखापटनम, हल्दिया और परादीप में प्रस्तावित यांत्रिक साधन पूर्वी प्रदेश में लौह अयस्क के निर्यात के लिये पर्याप्त होंगे, और यदि नहीं, तो, क्या कलकत्ता पत्तन भी यंत्रीकृत किया जायेगा ?

श्री मुहीउद्दीन : लगभग २० लाख टन तक माल लादने उतारने के लिये हल्दिया गोदी का यंत्रीकरण किया जायेगा। यह आशा की जाती है कि लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये जब विशाखापटनम और परादीप पत्तनों पर यंत्रीकृत व्यवस्था हो जायेगी तो वे सब इस समय के लिये पर्याप्त होंगे।

Shri Yashpal Singh : Would these machanical devices be used for handling iron are only or they would be utilised for handling other materials also during spare-time?.

Shri Mohiuddin : Probably handling of other materials would not be possible; but other ores would also be handled besides iron re.

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि परादीप पत्तन के विकास के लिये सरकार १३ करोड़ रुपये दे रही है और यदि हां, तो इसके कार्यकरण पर किस प्रकार अनुरूप प्रशासनिक नियंत्रण करने का सरकार का विचार है ?

श्री मुहीउद्दीन : मैंने बताया है कि सरकार उनको ऋण देने का विचार है जो कि परादीप पत्तन का विकास करने के कार्य में उपयोग किया जायेगा। यह केवल एक ऋण मात्र ही होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियोजन नहीं।

डा० सरोजिनी महिषी : बेल्लारी जिले से मरमागोआ को लौह अयस्क के बढ़ते हुए निर्यात को दृष्टिगत रखते हुए, क्या मैं जान सकती हूं कि मरमागोआ पत्तन का यंत्रीकरण किये जाने के पश्चात् उस पत्तन की लदान क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

मुहीउद्दीन : : मरमागोआ की क्षमता बहुत अधिक हो जायेगी; यह आशा की जाती है कि उसकी क्षमता लगभग ७० लाख टन की होगी।

अमरीकी भारवाही जहाज की भारतीय मत्स्य-नौकाओं के साथ टक्कर

\+

*१३०९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ अप्रैल, १९६४ को अमरीकी भारवाही जहाज 'एवसेलसियर' बम्बई के निकट दो भारतीय मत्स्य-नौकाओं के साथ टकरा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें जन-धन की कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) अमरीकी भारवाही जहाज 'विट्ठल प्रसाद' नामक एक मत्स्य-नौका के साथ टकरा गया था।

(ख) इसमें कोई जीवन हानि नहीं हुई। मत्स्य-नौका नष्ट हो गई थी और यह एक पूर्ण हानि हुई है।

(ग) व्यापार नौपरिवहन विभाग, बम्बई द्वारा इस दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रारम्भिक जांच से ऐसी कोई बात मालूम हुई है जिससे कि इस मामले की न्यायिक जांच आवश्यक ठहरती हो ?

श्री मुहीउद्दीन : यह बात प्रारम्भिक जांच के प्रतिवेदन पर निर्भर करेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : टक्कर किस स्थान पर हुई थी, क्या वह भारतीय सागर क्षेत्र में हुई थी अथवा गहरे समुद्र में, और विधि के किस उपबन्ध का उल्लंघन किया गया था ?

श्री मुहीउद्दीन : इस समय सूचना यह है कि टक्कर बम्बई के २० मील उत्तर में हुई थी और क्योंकि जो जहाज नष्ट हुआ था वह एक भारतीय पंजीकृत जहाज था अतः भारतीय नौवहन अधिनियम के अधीन भारत की ओर से जांच की जा रही है।

Shri Onkar Lal Berwa : The crew of U.S. freighter made their ship to collide with our fishing-craft with the intention of wrecking it. What have Govt. of India written to U.S. Government in this connection?

Shri Mohiuddin : This thing is being inquired into.

Shri Sheo Narain : Will the damages for the wrecked ship be paid by the Government of India or claimed from the U.S. Government?

Shri Mohiuddin : This will depend on the report of the enquiry.

दूर मुद्रक यन्त्र[1]

+

*१३१०. श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के कारखाने में नवनिर्मित आलिवेट्टी दूरमुद्रक यंत्रों, जिनका कि भारत के विभिन्न तारघरों को सम्भरण किया गया है, की रीबन तथा टेप संचालन प्रणाली दोषपूर्ण पायी गई ;

[1]Teleprinter Machines.

(ख) क्या इन दोषों के परिणामस्वरूप विभिन्न तार केन्द्रों के बीच सुचारु रूप से और निरन्तर कार्य नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप समाचारों को भेजने और प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) से (ग). जो कठिनाइयां अनुभव की गई हैं उन्हें हिन्दुस्तान दूरमुद्रकों की रिबन तथा टेप चलने की यांत्रिक प्रक्रिया के दोषों के कारण ही हुआ नहीं कहा जा सकता। ऐसी कठिनाइयां तो दोषपूर्ण कागज के टेप अथवा रिबन के कारण भी हो सकती हैं; इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री कपूर सिंह : क्या ओलिवट्टी टेलीग्राफिक टाइपराइटर भारतीय परिस्थितियों में अन्य बातों में संतोषप्रद पाये गये हैं; और यदि नहीं तो क्या हम ने मूल एकस्व-धारियों की जो व्यवस्था कर रखी है उसके अधीन इसमें उपयुक्त परिवर्तन किये जा सकते हैं ?

श्री भगवती : अब तक कुछ कठिनाइयों का अनुभव तो हुआ है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ये कठिनाइयां इन ओलिवेट्टी मशीनों की यांत्रिक प्रणाली में किन्हीं दोषों के कारण हैं। यह अनुभव किया जाता है कि सम्भवतया ये कठिनाइयां मुख्यतया पेपर टेप और रिबन और स्याही की खराब किस्म के कारण उत्पन्न होती हैं।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने मूल उत्तर में कहा था कि ये ठीक कार्य कर रही हैं परन्तु अब वह कहते हैं कि रिबन आदि में कुछ खराबी होती है।

श्री भगवती : मैं ने तो यह कहा है कि ऐसा अनुभव नहीं होता कि स्वयं मशीन में ही कोई दोष हो। ऐसा हो सकता है कि पेपर टेप अथवा रिबन की किस्म अपेक्षित स्तर जैसी बढ़िया न हो। इसलिये अब इन बातों की जांच की जा रही है। इतनी शीघ्र . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मंत्री को मूल उत्तर में यह कहते हुए सुना है कि रिबन में कोई दोष नहीं है। क्या मैंने यह बात ठीक सुनी है ?

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री ने सदन को यह बताया था कि जहां तक रिबन का सम्बन्ध है उसमें कोई दोष नहीं है, परन्तु अब वह कहते हैं कि सम्भवतया रिबन में दोष होने के कारण ये कठिनाइयां हो सकती हैं।

श्री भगवती : मैंने यह पढ़ा था :—

> "जो कठिनाइयां अनुभव की गई हैं उन्हें हिन्दुस्तान दूरमुद्रकों की रिबन तथा टेप चलने की यांत्रिक प्रक्रिया के दोषों के कारण ही हुआ नहीं कहा जा सकता"।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इन ओलिवेट्टी दूरमुद्रक के कुछ पुरजे अब भी आयात किये जाते हैं या सभी के सभी मद्रास कारखाने में बनाये जाते हैं और क्या मद्रास कारखाने में कुछ विदेशी प्रविधिज्ञ भी लग हुए हैं ?

श्री भगवती : अब भी हम लगभग ७४ प्रतिशत पुरजों का विदेशों से आयात करते हैं परन्तु इन सभी पुरजों को अधिकतम मात्रा में भारत में ही निर्माण करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : यह एक आम शिकायत है कि ये मशीनें दोषपूर्ण हैं, अब वे चाहे दोषपूर्ण रिबन के कारण हों या स्याही के कारण। अभी तक इस मामले में कोई जांच क्यों नहीं की गई थी ? अब जांच कार्य कौन कर रहा है, क्या वह जांचकर्ता डाक और तार विभाग के बाहर का कोई अधिकारी है अथवा कोई विशेषज्ञ है ?

श्री भगवती : इस मशीन के संचालन के बारे में हम को सूचना देने के लिये हम डाक तार मण्डलों से कह चुके हैं और विभिन्न मण्डलों से हमें जानकारी प्राप्त होती रही है। इन जानकारियों से हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे हैं परन्तु हम यह समझते हैं कि पेपर टेप अथवा रिबन अथवा अन्य किसी वस्तु में दोष हो सकते हैं। इसलिये कुछ अधिक छानबीन आवश्यक समझी जाती है।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरा प्रश्न तो यह था कि कौन इस जांच कार्य को कर रहा है।

श्री भगवती : यह जांच विभाग द्वारा की जा रही है।

Shri Yashpal Singh : Who has been held responsible for the defects so far traced and what action has been taken against him?

The Speaker : What action could be taken against paper tape and ribbon?

Shri Yashpal Singh : What action has been taken against those who have supplied these defective paper tapes and ribbons?

श्री भगवती : इस पेपर को प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। हम इस कागज का आयात नहीं करते; हम इस सब को भारतीय निर्माणकर्ताओं से ही लेते हैं। पहले मैसर्स भारत कारबन एण्ड रिबन कम्पनी, नई दिल्ली हम को इस पेपर का सम्भरण किया करते थे, अब एक दूसरी कम्पनी, दी राल्स प्रिन्ट्स कम्पनी, कलकत्ता हम को इस पेपर का सम्भरण कर रही है। मैं समझता हूं कि अब इसकी किस्म में कुछ सुधार होगा।

Damage Caused to Crops by Pests

*1311. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that crops worth several crores of rupees are destroyed every year in India due to pests thereby effecting the target of increased production;

(b) if so, the measures adopted by Government to destory these pests; and

(c) the name of the State in wlich the pests cause the heaviest damage?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde) : (a) Yes, Sir. No accurate assessments have been made. One estimate made is that overall losses caused by insects, other animal pests, diseases and weeds come to about rupees 1,000 crores per annum.

(b) Plant protection is primarily the responsibility of State Governments. Plant Protection Organisations have been established in all States for taking effective control measures against plant pest and diseases. The Central Government also helps the State Governments wherever required by way of technical advice and assistance in ground and aerial operations. For the distribution of pesticides and manually operated sprayers/dusters the Central Government has offered a subsidy of 25%.

(c) The losses inflicted in each State are estimated at about 20% of the value of the crops. Comparative figures of damage caused in different States are not available.

Shri Onkar Lal Berwa : What suggestions were given by Dr. Singh of America? Have we accepted those suggestions; if not, what were the reasons therefor and the difficulties in our way to accept them?

श्री शिन्दे : मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अमेरिका के किसी डा० सिंह ने कोई सुझाव दिये हैं और क्या हम ने उन्हें स्वीकार किया है और उनके बारे में कुछ किया है ?

श्री शिन्दे : समय समय पर अनेकों सुझाव दिये जाते हैं और उन सुझावों को मान्यता दी जाती है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध एक प्रविधिक विशेषज्ञ संगठन है जो कि सामान्यतया इस सम्बन्ध में प्रविधिक प्रगति का अध्ययन करता है और पौधों के संरक्षण सम्बन्धी उपायों के बारे में विभिन्न देशों में की गई प्रविधिक प्रगतियों को उपयोग में लाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Have Government of India conducted a survey in the country to assess the estimated damage caused by pests in the country as has been done by Dr. Singh of America in different countries?

श्री शिन्दे : ये अनुमान मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान हैं, इस सम्बन्ध में ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । परन्तु भारत सरकार का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता से ये अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा है और भारत सरकार के पास इस बारे में मोटे तौर पर जानकारी उपलब्ध है कि इन नाशिकीटों तथा बीमारियों द्वारा फसलों को कितनी क्षति हुई है ।

Shri Rameshwaranand : May I know whether these pests and other crop damaging insects are found in different States in a particular season and of a particular type ? What are the causes of their growth and have Government conducted any investigation in this respect?

श्री शिन्दे : मैं समझता हूं कि ये किसी विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं हैं; ये समस्त भारत में पाये जाते हैं । विभिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगती हैं और हमारे यहां अनेकों गवेषणा संस्थायें हैं, जो कि विशेष रूप से यह पता लगाने में लगी हुई हैं कि ये नाशिकीट और बीमारियां किन कारणों से उत्पन्न होती हैं ?

Shri Rameshwaranand : My question should be replied in Hindi. Sardarji knows very good Hindi.

Mr. Speaker : I cannot claim that I know Hindi better then he. How and why these pests crop up?

श्री शिन्दे : यह बताना सम्भव नहीं है ।

Mr. Speaker : The hon. Minister is unable to indicate that.

Shri Rameshwaranand : Then you may give the information.

Mr. Speaker : Had it been known to me, I would have been a Minister. I am not aware of it.

Shri Kapur Singh : Are pesticides and other requisite material easily available in India?

श्री शिन्दे : जी, हां; इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कीटनाशक औषधियों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता और पौधों के संरक्षण की व्यवस्था करने वाले उपकरणों में उचित समय में ही वृद्धि करके हमारा देश इस मामले में यथासम्भव शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : नाशिकीटों के नियंत्रण के कार्यक्रम को प्रभावकारी रूप में क्रियान्वित करने में मुख्य कठिनाई किसान की आर्थिक असमर्थता है । इस स्थिति में, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये भारत सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है जिससे कि किसान इस मंत्रालय द्वारा अपनाये गये उपायों को क्रियान्वित कर सकें ?

श्री शिन्दे : वास्तव में किसानों को विभिन्न रूपों में ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उपकरणों तथा कीटनाशक औषधियों के लिये केन्द्रीय सरकार २५ प्रतिशत अर्थसहायता देती है । राज्य सरकारों से भी यह आशा की जाती है कि वे भी इन उपकरणों तथा औषधियों को प्राप्त करने के लिये अर्थसहायता देने में अपना अंशदान करेंगी ।

श्री लीलाधर कटको : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ये जो कीटनाशक औषधियां दी जाती हैं वे बहुत प्रभावकारी नहीं होतीं और वे पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जातीं और न उस समय पर ही दी जाती हैं जब कि इन नाशिकीटों को मारने के लिये उनकी आवश्यकता होती है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ये कीटनाशक औषधियां किसानों को समय पर तथा उनकी आवश्यकतानुकूल दी जायें । आंकड़ों में देखने से यह पता लगेगा कि इन कीटनाशक औषधियों का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है । द्वितीय चवर्षीय योजना के आरम्भ में हमने १ करोड़ ३६ लाख रुपये के मूल्य की लगभग ६४४५ टन कीटनाशक औषधियां बेचीं थीं, परन्तु तृतीय योजना के आरम्भ से यह औषधियां ४ करोड़ ६० लाख रुपये की बिकी हैं । उदाहरणार्थ, १९६२ में ७ करोड़ ५० लाख रुपये के मूल्य की ४५९०८ टन कीटनाशक औषधियां बेचीं गईं । इस प्रकार इन कीटनाशक औषधियों के उपयोग में बहुत भारी वृद्धि हुई है । नाशिकीटों द्वारा फसल के बड़े पैमाने पर विनाश को देखते हुए हमें यह भी पता है कि इन कीटनाशक औषधियों के उपयोग का कितना महत्व है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों का कीटनाशक औषधियों का वर्तमान उत्पादन सस्ती कीटनाशक औषधियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो क्या

भारत सरकार कीटनाशक औषधियों का निर्माण करने के लिये छोटे पैमाने के और मध्यम पैमाने के निर्माणकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करने के लिये कुछ कार्यवाही करने की सोच रही है?

श्री अ० म० थामस: शक्तिचालित छिड़काव वाले यंत्रों की और अन्य ऐसी वस्तुओं की क्षमता हाल ही में १२,५०० यूनिट बढ़ गई है। इस समय क्षमता केवल ४,००० यूनिट की है। इसलिये वास्तव में हमने अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिया है। हम कीटनाशक औषधियों और इन औषधियों का उपयोग करने वाले उपकरणों दोनों ही के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।

श्री सिंहासन सिंह: माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि वह इस मामले में आत्म-निर्भर होना चाहते हैं। ऐसे कारखानों की स्थापना करने के लिये कितने व्यक्तियों न अनुमति अथवा लाइसैंस मांगें हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दी गई है?

श्री शिन्दे: इस प्रश्न के पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री अ० म० थामस: मैं पहिले ही बता चुका हूं कि औषधि निर्माणकर्ता शक्तिचालित एककों की संख्या १२,५०० से अधिक हो गई है। १२,५०० एककों के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा: यह बताया गया है कि कुल हानि सम्पूर्ण उत्पादन का २० प्रतिशत होती है। क्या मैं जान सकता हूं कि दस वर्ष पहिले कुल कितने प्रतिशत क्षति होती थी और नाशकीटों के कारण फसलों को होने वाली क्षति के मामले में हम कितना सुधार कर पाये हैं?

श्री अ० म० थामस: हमारे पास इसकी सांख्यिकी नहीं है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है केवल कच्चे आंकड़े हैं।

श्री भगवत झा आजाद: क्योंकि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि देश में कीटनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इसके कारण हैं कि ये औषधियां किसानों को खण्डों के द्वारा उचित समय पर नहीं मिलती हैं?

श्री शिन्दे: सरकार ने यह तो कभी भी नहीं कहा कि कीटनाशक औषधियां देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हम आयात करके कमी को पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, मुख्य कठिनाई इन औषधियों के उपलब्ध होने के सम्बन्ध में नहीं है अपितु इन कीटनाशक औषधियों का उपयोग करने के ज्ञान के अभाव के बारे में है। इस ज्ञान को कृषकों में फैलाये जाने की आवश्यकता है। यह बड़े प्रसन्नता की की बात है कि किसान लोग बड़े उत्साह से इन कीटनाशक औषधियों का उपयोग करते जा रहे हैं। परन्तु यह सच नहीं है कि इसकी कम उपलब्धि के कारण ही इसका सीमित मात्रा में उपयोग होता है।

श्री शशि रंजन : हाल के वर्षों में आलू के उत्पादन की मांग रही है। आलू की फसल को क्षति से बचाने के लिये विशेषरूप से नेमोटिटिस नामक बीमारी से होने वाली क्षति से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री अ० म० थामस : इस सम्बन्ध में कुछ अनुसन्धान किये गये हैं और हम कुछ उपाय कर रहे हैं, इनको शत प्रतिशत प्रभावकारी नहीं पाया गया है।

खाद्य व्यापार पर नियन्त्रण

*१३१२. **श्री हरश्चिन्द्र माथुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक खाद्य व्यापार पर क्या नियंत्रण लगाया गया है;

(ख) इसका मूल्यों तथा पारम्परिक व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजस्थान में गेहूं के खरीदारों की लम्बी लम्बी लाइनें लगती है और एकगार में केवल २ रुपये का ही गेहूं दिया जाता है?

खाद्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अनाज के थोक व्यापार, आटे की चक्कियों और चावल मिलों पर लाइसेंस नियंत्रण है। अनाज का सट्टा व्यापार बन्द कर दिया गया है।

(ख) किसी विशिष्ट नियम का मूल्यों पर अलग प्रभाव बताना कठिन है। व्यापारी नियंत्रण के नियमों के अनुसार अपना तालमेल बैठा रहे हैं।

(ग) राजस्थान में कहीं भी ऐसी पाबन्दी नहीं है कि एक बार में केवल दो रुपये का गेहूं दिया जाये। सिफ बीकानेर शहर में, विदेशों से मंगाया गया गेहूं देर से पहुंचने के कारण एक दो रोज के लिए ही ऐसी पाबन्दी लगायी गयी थी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि व्यापारियों ने अभी तक नयी व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन नहीं किये हैं और वे अभ्यावेदन कर रहे हैं जिसके कारण माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री को अपने वार्षिक सम्मेलन में कुछ कहना पड़ा; और यदि हां तो व्यापारियों ने क्या कठिनाइयां बतायी हैं और सरकार की क्या राय है?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह ठीक है कि जब हमने लाइसैंसिंग आर्डर जारी किया था तब व्यापारी उसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें ऐसे वातावरण में काम करने की आदत पड़ी हुई थी जहां वास्तव में कोई नियंत्रण न हो। मेरा अपना अनुमान यह है कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयत्नों और केन्द्रीय सरकार के साथ व्यापारी प्रतिनिधियों की बातचीत के परिणामस्वरूप व्यापारी अब यह बात समझने लगे हैं कि उन्हें अनुशासन का पालन करना होगा। राजस्थान के संबंध में उनके प्रतिनिधियों से मेरी कल और आज मुलाकात हुई और मेरी यह धारणा है कि वे नियंत्रण उपायों के संबंध में हमें सहयोग देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि मूल्य केवल नियंत्रण से नहीं बल्कि बाजार में माल के पहुंचने से निर्धारित होता है और यदि हां, तो इस बात की

ओर ध्यान देने के लिए कि उत्पादक को जो मिलता है और उपभोक्ता जो देता है, उसमें काफी अन्तर न हो, सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

श्री स्वर्ण सिंह: यह ठीक है कि बाजार में माल की पहुंच से मूल्यों पर असर पड़ता है लेकिन यह कहना गलत है कि नियंत्रण उपायों का कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता । उनका बहुत गहरा असर पड़ा है क्योंकि गहूं क्षेत्र बनाये जाने के बाद उन क्षेत्रों में जहां गेहूं काफी है, कीमतें स्थिर रहने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ी है । इसलिए बाजार में माल की पहुंच और नियंत्रण उपाय, दोनों का ही यह मिला जुला असर है इन दोनों ही बातों का मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ा है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: उत्पादक को जो कुछ मिलता है और उपभोक्ता जो देत है उस अन्तर के बारे में जो सरकार मंजूर करना चाहती है, क्या स्थिति है?

श्री स्वर्ण सिंह: हमारा यह इरादा है और हम राज्य सरकारों को बता भी चुके हैं कि उपयुक्त समय पर वे अधिकतम मूल्य भी लागू कर सकती हैं । इस समय अधिकतम मूल्य सिर्फ इसी कारण से नहीं बताया गया है कि वह अधिकतम मूल्य वास्तविक मूल्य हो जायगा । इसलिए हम अभी स्थिति को सावधानी से देख रहे हैं और उचित समय पर अधिकतम मूल्य लागू करने में हम पीछे नहीं हटेंगे ।

श्री पालीवाल: भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि बीकानेर में केवल एक दिन छोड़कर, लम्बी लाइनें नहीं थीं । क्या वह और जानकारी प्राप्त करेंगे कि जयपुर में ही लगातार कई दिनों तक गेहूं नहीं मिल रहा था?

श्री अ० म० थामस: हमें राजस्थान सरकार से जानकारी मिली है कि सिर्फ बीकानेर में ही कुछ समय तक ऐसी हालत थी कि एक बार में सिर्फ दो रुपये का गेहूं मिलता था । अब चाहे जितना मिल सकता है । यह इस बात से जाहिर होगा कि राजस्थान में सिर्फ मार्च में लगभग ६०,००० टन गेहूं की खपत हुई । अप्रैल में हमने ६०,००० टन दिया है जब कि १९६३ के सारे साल में राजस्थान में विदेशों से मंगाये गये लगभग २५,००० टन गेहूं की खपत हुई है ।

Shri Kashi Ram Gupta: Will the hon. Minister be pleased to state whether the traders have stated that it is difficult for them to submit profit and loss account for a period of three months? Would he consider ozer extending that period from three to six months?

Shri Swaran Singh: Yes Sir, the traders had represented that it was difficult for them to submit accounts for three months but I have told them that it would otherwise not be possible to ensure that huge profits are not being made. They have realised the situation and I feel they would submit accounts in three months stating therein their present stock and the price at which it was sold during the last three months.

Shri Kashi Ram Gupta: Was there an issue of extending the period from three months to six months?

Shri Swaran Singh: I feel that if accounts are submitted in six months, it would not serve our purpose of ensuring that they sold it at appropriate price.

श्री जसवन्त मेहता: गेहूं क्षेत्र बनाये जाने के बाद, कमी वाले कुछ राज्यों में गहूं की कमी है । इन कमी वाले राज्यों में जहां इस समय गेहूं की कमी है और काफी शोरगुल है, सरकार किस तरह समस्या हल करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : यह दो तरीके से दूर करने का विचार है। वह बहुतायत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में पहुंचाया जायगा। वह उस दाम पर पहुंचाया जायगा जो उस सामान्य मूल्य से जिस पर कि वह विनिमय किया जायगा, संभवतः कम होगा। यदि फिर भी कमी रहे तो वह कमी आयात किया हुआ गेहूं सप्लाई करके पूरी की जायेगी।

श्री जसवन्त मेहता : गुजरात, राजस्थान के अलावा और किन राज्यों में कमी है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, श्री बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को बताया गया है कि राजस्थान को छोड़ कर, उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में भी गेहूं का दाम बढ़ जाता है ? यदि यह ठीक है, तो क्या व्यापारियों के उचित रूप से काम न करने पर सरकार की ओर से अनाज का व्यापार शुरू करने का निश्चय किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य का संकेत किस राज्य की ओर है यह मैं नहीं जानता। लेकिन जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव पहले के मुकाबले में काफी गिर गया है। इस समय भी यह समझा जाता है कि स्थानांतरण नियंत्रण और लाइसेन्सिंग आर्डर के कारण मूल्यों के उतार चढ़ाव पर काफी रोक होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस खबर की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि धान के लिए दिये जाने वाले नियमित न्यूनतम मूल्य से बचने के लिए कलकत्ते के आसपास की चावल मिलों के सभी मालिकों ने पिछले कुछ दिनों से अपनी मिलें बन्द कर दी हैं; यदि हां तो उन मिलों को खुलवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से जानकारी लूंगा और आगे जांच करूंगा।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि इन क्षेत्रों के निर्माण से कुछ राज्यों में भाव बहुत ऊंचे बढ़ गये हैं जैसे बम्बई में गेहूं १३ रु० मन की बजाय ३६ रु० मन बिक रहा है ? यदि हां तो औसत उपभोक्ता का कष्ट दूर करने के लिए क्या कारवाई की जा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह आशा की जाती थी कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन अधिक है वहां अनाज के स्थानांतरण पर नियंत्रण और स्टाक जमा किये जाने से उन राज्यों में जो उन क्षेत्रों से सप्लाई पर निर्भर रहते थे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि बहुतायत वाले राज्यों से देशी गेहूं उपलब्ध करके उस स्थिति पर काबू किया जायगा। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। आशा है कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं भेजेंगे। यही सबसे नई जानकारी है। यदि पंजाब में कोई अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध हो तो कहां से भी भेजा जायेगा। लेकिन हम यह न भूलें कि गेहूं की कुल खपत में, आयात किया हुआ गेहूं काफी प्रतिशत होता है और वह नियंत्रित दरों पर उपलब्ध है।

अधिकारियों के लिये रेलवे पास

*१३१३. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) सरकारी कार्य पर (२) विशेषाधिकार पासों पर और (३) पी० टी० ओ० पर वातानुकूलित डिब्बों में किन किन श्रेणियों के अधिकारी यात्रा कर सकते हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकारी कार्य/विशेषाधिकार पास और पी० टी० ओ० पर वातानुकूलित डिब्बों में निम्न-लिखित श्रेणी के रेलवे अधिकारी यात्रा कर सकते हैं :—

(१) ड्यूटी पास पर, प्रशासनिक श्रेणी के अफसर वातानकूलित डिब्बों में मुफ्त सफर कर सकते हैं ।

(२) विशेषाधिकार पास पर, सभी गज़ेटेड अफसर पहले दर्जे और वात डिब्बों के किराये के अन्तर का १/३ भुगतान करने पर वातानुकूलित डिब्बे में सफर कर सकते हैं ।

(३) पी० टी० ओ० पर, सभी गजेटड अफसर वातानुकूलित डिब्बों के सामान्य किराये का १/३ भूगतान करने पर वातानुकूलित डिब्बे में सफर कर सकते हैं ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या इन पासों से जिन्हें आज़ादी से पहले 'सिल्वर पास' कहा जाता था, अफसरों के परिवार भी यात्रा कर सकते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह सवाल वातानकूलित डिब्बों में यात्रा के बारे में है । यदि कोई अधिकारी अपने साथ अपने परिवार को ले जाना चाहे तो उसे एक तिहाई किराया देना होता है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : किसी किसी श्रेणी के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग का कोई मामला रेलवे अधिकारियों की नजर में आया है ; यदि हां, तो ऐसी कुप्रथा को रोकने के लिये रेलवे अधिकारियों के पास कौनसी प्रणाली है ?

श्री शाहनवाज़ खां : ऐसा कोई मामला हमारी नज़र में नहीं आया है । यदि कोई मामला आये तो अनुशासन कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : मेरा प्रश्न प्रणाली के बारे में था ।

अध्यक्ष महोदय : कुप्रथाओं को रोकने के लिये सामान्य प्रणाली है ।

रेलवे मन्त्री (श्री दासप्पा) : वातानुकूलित डिब्बों के सम्बन्ध में, किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के दुरुपयोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है । दूसरों के बारे में, पास संबंधी कुछ शिकायतें हमारे पास आई हैं । स्थानीय अधिकारियों, सामान्य प्रबन्धकों तथा दूसरों को उन मामलों में कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है ।

श्री तिरुमल राव : 'परिवार' की क्या परिभाषा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : पत्नी और बच्चे ।

श्री दी० चं० शर्मा : किस आधार पर और समाजवादी समाज के किन सिद्धान्तों और विशेषाधिकार की समानता के किस आधार पर प्रशासनिक श्रेणी के इन अफसरों तथा गज़टशुदा

अफसरों को सिर्फ १/३ किराया दे कर वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। वह सिर्फ जानकारी पूछ सकते हैं, तर्क नहीं कर सकते ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेषाधिकार के लिये किस आधार पर इन लोगों को चुना गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है और इसीलिये मैंने इसके लिये अनुमति नहीं दी है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : रेलवे अधिकारियों के अलावा सरकारी विभागों के किन श्रेणियों के अधिकारियों को, गो सरकारी काम के लिये वातानकूलित डिब्बों में यात्रा करने के अधिकारी हैं दैनिक भत्ते की बजाय एक वातानुकूलित टिकट का किराया यात्रा भत्ता के तौर पर भी दिया जा सकता है ?

श्री शाहनवाज खां : केवल प्रशासनिक श्रेणी के रेलवे अधिकारी ही सरकारी काम से वातानुकूलित डिब्बों में मुफ्त यात्रा करने के अधिकारी होते हैं। दूसरे पदाधिकारियों के सम्बन्ध में, अलग प्रश्न पूछा जा सकता है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know on what basis passes are issued to non-officials and institutions for travel in first class and air conditioned coaches. What are the rules for it?

Shri Shahnawaz Khan : There are certain rules. If Railway Ministry feels that it is in the public interest, it gives travel facilities.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : रेलवे मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने पहले दर्जे के और वातानुकूलित दर्जे के किराये के अन्तर का १/३ भगतान करने पर संसद्-सदस्यों को वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने की सुविधा देने के बारे में कभी विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग सवाल है ।

श्री दी० चं० शर्मा : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन् ।

अध्यक्ष महोदय : संसद् सदस्यों को इस में मत ले जाइये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा निवेदन यह है कि अभी यह प्रश्न पूछा गया था कि जनसेवा करने वालों को यह सुविधा देने के कोई नियम हैं । उन्होंने बताया कि उसके लिये कुछ नियम हैं और वे क्या क्या नियम हैं । इसलिये यह सवाल पैदा होता है कि वही सुविधा इस श्रेणी के जनसेवकों को क्यों नहीं दी जाती ।

श्री कपूर सिंह : जब हम भी जनसेवा करते हैं तो हमें क्यों अलग रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि हम रेलवे कर्मचारी नहीं हैं। रेलवे कर्मचारियों के बारे में उन्होंने यह जानकारी दी है। हम लोग उस श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

Shri D. C. Sharma : My point of order is this. The hon. Minister has stated that the passes are issued on the basis of public service. May I, therefore know whether all those who render public service, such as Bharat Sevak Samaj, Bharat Sadhu Samaj and other voluntary organisation are entitled to this travel on account of their public service?

Mr. Speaker : I have already replied to this question. The same question was asked by Dr. Singhvi. The hon. Minister is giving reply in regard to railway servants and not others.

Shri Bagri : He has said it for non-officials also.

अध्यक्ष महोदय : अब इस प्रश्न में मैं भेदभाव नहीं हटा सकता। यदि भेदभाव है, तो उसके लिए दूसरे उपाय हैं, लेकिन यह प्रश्न अथवा ये अनपूरक नहीं।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को वातानुकूलित डिब्बों में किराया दे कर चलने वाले यात्रियों के लिए जगह दिलाने में इस कारण कोई कठिनाई हुई है कि उन डिब्बों में रेलवे अधिकारी ही अक्सर यात्रा किया करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वह विभिन्न गाड़ियों और विभिन्न मार्गों पर निर्भर है। कभी कठिनाई हो सकती है, कभी नहीं भी। लेकिन हमारा सिद्धान्त यह होता है कि जो पहले रिजर्वेशन कराता है उसे पहले जगह दी जाती है, चाहे वह टिकट वाला यात्री हो या पास वाला यात्री हो।

सघन कृषि कार्यक्रम

*१३१४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में एक सघन कृषि कार्यक्रम चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किन-किन क्षेत्रों में चलाया जायेगा, इस पर कितना व्यय होगा और इससे क्या क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) (१) योजना के अन्तर्गत दिल्ली के पांचों विकासखंड आ जाते हैं।

(२) अनुमानित व्यय ५०·८८ लाख रुपये है।

(३) इसका उद्देश्य कृषि के स्वरूप में केवलमात्र खाद्यानों से मिश्रित खेती की ओर, जैसे कि सब्जियां, जल्दी उगने वाले फल, मुर्गीपालन, दुग्धशालाओं का काम तथा मत्स्यपालन, परिवर्तन लाना है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : संवेष्टित कार्यक्रम की कार्यान्विति तथा इसके लिये स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय निर्वाचित निकायों का सक्रिय तथा प्रभावी सहयोग प्राप्त करने के लिये एक विशेष प्रशासनिक पदाली बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री शिन्दे : अधिकारियों की पदाली तो पहले से ही है । जहां तक दिल्ली खंड का सम्बन्ध है, तीन खंड सक्षम अधिकारियों के अधीन हैं और अधिकारियों की वही पदाली अन्य दो खंडों में नियुक्त की जायेगी । माननीय सदस्य ने जो सामान्य प्रश्न उठाया है, योजना का उद्देश्य ही यही है कि इस योजना की कार्यान्वित के लिये स्थानीय निकायों, पंचायत समितियों आदि का सहयोग प्राप्त किया जाय क्योंकि स्थानीय लोगों और कृषकों के सहयोग के बिना इन योजनाओं को कार्यान्वित करना संभव नहीं है । सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस क्षेत्र में ग्रामीण ऋण के प्रतिरूप को नई दिशा देने के लिये क्या उपाय करने का विचार है तथा क्या संवेष्टित कार्यक्रम के वृहत्तर प्रयोजन के लिये तथा ग्रामीण ऋण को बढ़ाने के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कोई विदेशी सहायता ली गई है ?

श्री शिन्दे : मैं नहीं समझता कि ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिये विदेशी सहायता आवश्यक है । सच तो यह है कि रिज़र्व बैंक तथा स्थानीय शीर्ष बैंकों आदि द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधायें इस अर्थ में पर्याप्त हैं कि सरकार इन विकास खण्डों पर विशेष रूप से अपना ध्यान एकाग्र कर रही है और इन संवेष्टन क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण दिया जा रहा है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has Govt. tried to extend this scheme to those cultivators who cultivate the land in their own way and not the one prescribed by the Government ?

श्री शिन्दे : योजना में यह सभी लोग आ जाते हैं और योजनाओं की कार्यान्विति के लिये प्रगतिशील किसानों का सहयोग भी प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है । उन क्षेत्रों के किसानों को कई तरह की राजसहायता तथा अन्य सहायता और ऋण सुविधायें आदि दी जाती हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस संवेष्टित कार्यक्रम को अनेक जिलों में चलाते हुए तीन वर्ष से ज्यादा हो गए हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें किन कमियों और कठिनाइयों का पता चला है और अब इस कार्यक्रम में क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

श्री शिन्दे : मंत्रालय, स्थानीय सरकारों तथा स्थानीय संगठनों द्वारा अब तक किये गये कामों की क्रियान्विति तथा परिणामों के बारे में समय समय पर भिन्न भिन्न निर्धारण किये जा रहे हैं । क्रियान्विति में कई त्रुटियां पाई गई हैं और उन्हें ठीक करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । परन्तु कुल मिला कर यही प्रतीत होता है कि संवेष्टन योजनायें बहुत ही अच्छी तरह चल रही हैं और परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तीन वर्ष के अनुभव में कौनसी मुख्य कमियां पाई गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुख्य कमियां कोई नहीं हैं । जब हम कोई ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं जिससे लाखों किसान सम्बन्धित हों, हमें उन्हें प्रेरित करना पड़ता है और आवश्यक उत्पादनकारक उपलब्ध करने होते हैं । कहीं-कहीं गल-

तियां हो सकती हैं परन्तु मूलरूप से योजना अच्छी है और न उसके सिद्धान्त में कोई मुख्य दोष हैं और न उसकी क्रियान्विति में ।

श्री सोनावने : इस सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को क्या उत्प्रेरक दिये जाते हैं तथा इसमें और संवेष्टन कार्यक्रम में क्या अन्तर है तथा क्या सघन कृषि कार्यक्रम को बाह्य दिल्ली के क्षेत्र तक बढ़ाया जायेगा ?

श्री शिन्दे : यह प्रश्न केवल दिल्ली के बारे में है । ये संवेष्टन योजनायें सारे भारत में विभिन्न जिलों में चलाई जाती हैं । खेती के तरीकों को सुधार कर तथा अच्छे कृषि औजार, उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधियां और सिंचाई सुविधायें आसानी से देकर इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जा रहा है । ऋण भी आसानी से दिया जा रहा है और प्रदर्शनात्मक प्लाटों का आयोजन किया जाता है । उन इलाकों में कई रूपों में सहायता दी जाती है ।

श्री मलाईछामी : क्या ऋण को विपणन संगठनों से जोड़ने का कोई प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री शिन्दे : वर्तमान विपणन संगठन अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इन विपणन संगठनों, क्रय-विक्रय समितियों आदि से आशा रखी जाती है कि वे कृषि के भंडार की सुविधायें दें तथा समितियों के पास गिरवी रखी वस्तुओं पर आग्रम धन भी दें ।

Shri Daljit Singh : What new facilities have been given this year in order to operate the intensive agricultural programme in the Union Territory of Delhi ?

Shri Swaran Singh : The new programmes in Delhi is to be launched this year. Though this question is in regard to Delhi, this programme is being introduced in each State.

Shri Daljit Singh : New programme has been chalked out to increase production in all the States, what is the programme for Delhi in this Context ?

Shri Swaran Singh : If the hon. Member gives a separate notice about the nature of new programme, I will try to give him all the information.

डा० पं० शा० देशमुख : क्या पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन का कोई निर्धारण किया गया है तथा दिल्ली में संवेष्टन कार्यक्रम लागू करने के बाद कितना उत्पादन बढ़ेगा क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : प्रत्येक जिले में अलग-अलग परिणाम हुआ है । तथापि, फसल काटने के जो सर्वेक्षण किये गये हैं उनसे पता चलता है कि कुछ जिलों में काफी वृद्धि हुई है । उदाहरणार्थ सूरत में १९६२-६३ में २२ प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ४६ प्रतिशत . . . .

डा० पं० शा० देशमुख : खाद्यान्नों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है मैं यह नहीं जानना चाहता हूं । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कितने टन की वृद्धि हुई है ।

श्री अ० म० थामस : पिछले वर्ष के परिणामों से पता चलेगा कि चावल में ४० लाख टन की वृद्धि हुई है परन्तु उसका सारा श्रेय संवेष्टन कार्यक्रम वाले जिलों या ऐसी किसी अन्य चीज

को नहीं जाता । परन्तु यह भली भांति विदित है कि संवेष्टन कार्यक्रम वाले जिले देश के सर्वोत्तम जिले हैं और सुधरे हुए इन तरीकों को अपनाने से उत्पादन बढ़ा है ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या मैं जान सकती हूं कि संवेष्टन कार्यक्रम का ग्रामीण उत्पादन योजना से क्या सम्बन्ध है ?

श्री शिन्दे : व्यावहारिक दृष्टि से यह ग्रामीण उत्पादन योजना का ही अंग है क्योंकि दोनों समन्वित हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What would be the total expenditure involved in the implementation of this intensive agricultural programme in Delhi State and the pecrentage of increase in the production of foodgrains as a result thereof ?

श्री शिन्दे : जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया जा चुका है, कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ५० लाख रु० और देना होगा । कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता यद्यपि मोटे तौर पर एक-दो वर्षों में १० से २० प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि दिल्ली के किसानों को लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि पंजाब से नहरी पानी नियमित रूप से नहीं मिलता और देशी तथा अन्य खाद पूरी मात्रा में नहीं मिलती ?

श्री अ० म० थामस : उर्वरकों के पर्याप्त संभरण में कोई कमी नहीं है, विशेषतः संवेष्टन कार्यक्रम वाले जिलों में । पानी के संभरण के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Rameshwranand : Has Government gained some experience of the working of the intensive agricultural programme or is it being introduced in Delhi State only on an experimental basis ?

Shri Swaran Singh : It is being finally implemented and not just b ing experimented.

Shri Rameshwranand : Why not introduce it everywhere ?

Shri Swaran Singh : I suggest that if Swamiji can have some time from his Ashram, he should see what fine work people are doing.

Shri Yashpal Singh : Has Government some such figures which show that production in Delhi would be less than or just equal to what it has been in Aligarh while the amount spent on the package programme in Delhi is more than that spent in Aligarh ?

Shri Swaran Singh : I do not have the figures to make this comparison. However if you give a separate notice, I will collect these figures also.

रेलवे कर्मचारी

\+

*१३१५. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री म० प० स्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रेलवे कर्मचारी भारतीय रेलवे कर्मचारीवर्ग संहिता के नियम

१४८(३) और १४९(३) के अधीन नौकरी से निकाल दिये गये थे, परन्तु जिनका उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन अपील से सीधा सम्बन्ध नहीं था, उन्हें फिर से नौकरी पर लगाने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (डी० तथा ए०) ६३ आर० जी० ६-५७, दिनांक २८ अप्रैल, १९६४ में रेलवे प्रशासनों को इस बारे में हिदायतें भेजी जा चुकी हैं। पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २८६४/६४]**

डा० श्रीनिवासन : क्या माननीय मंत्री परिसीमन अवधि पर ध्यान दिये बिना पूरे समय के लिये बकाया राशि के भुगतान के प्रश्न पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सें० वें रामस्वामी : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री नाथ पाई : अभी ऐसे कितने कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाना बाकी है जिन्हें प्रशासन के कथनानुसार 'अशिष्ट भाषा' बोलने के मिथ्या आधार पर हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप निकाल दिया गया था और उन्हें फिर से नौकरी पर लगाने के लिए प्रशासन का क्या करने का विचार है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरे माननीय मित्र ने जो तथ्य मांगें हैं वे इस समय मेरे पास नहीं हैं परन्तु कुल संख्या लगभग ६२ है।

श्री नम्बियार : इस विवरण से तथा जनरल मैनेजरों को भेजे गये पत्र से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को पिछले छः वर्षों में नौकरी से हटाया गया है केवल उन्हें नौकरी पर बहाल करने के लिये कहा जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि बहाली छः वर्ष तक ही सीमित क्यों है और उन सभी व्यक्तियों के लिये ऐसा क्यों नहीं हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किये गये नियम १४८ तथा १४९ के अधीन हटाया गया था ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : परिसीमन अधिनियम के अनुच्छेद १२० के कारण।

श्री म० प० स्वामी : बहाली के लिये कितने लोगों ने आवेदन पत्र दिया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस समय तो आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। हमें अनेक रेलवे प्रशासनों से आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Refugees from East Pakistan

S.N.Q. No. 24. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether in the combined sitting of Congress orgainsations of Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Tripura and U.P. held recently at Govindnagar, the Government has been urged upon to deal with the refugee problems on war footings ;

(b) Whether it is also a fact that it has also been stated in the resolution passed in that sitting that the horrible incidents and the unfortunate attitude towards the miniorities in East Pakistan is part and parcel of Pakistan's pre-planned programme ; and

(c) Whether it was also suggested in that important meeting that the Pakistan infiltrators who have infiltrated in large numbers in several States of India should be sent back and refugees should be rehabilitated in their places.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) to (c) Government have not received any copy of thet resolutions stated to have been passed at the Joint Session of the Congress Organisations of the Eastern States at Govindnagar. The contents of the resolutions are not, therefore, known to Government.

Shri Prakash Vir Shastri : Even if copies of those proposals have not been formally received by the Government, the hon. Minister must have read reports to this effect in newspapers. The Chief Ministers of six States and representatives of principle congress organisations of the country assembled there and passed a resolution to the effect that the problem of refugees should be dealt with at war level. What measures are being considered in the Ministry of Rehabilitation, and what schemes have been formulated to solve this problem ?

Shri Tyagi : The intention of the Ministry is to deal with this problem at war level.

Shri Prakash Vir Shastri : As is evident from Press reports, many Indians are migrating not from East Pakistan alone but also from Burma, Janjibar and Ceylon. Has the Ministry of Rehabilitation also formulated any such scheme under which arrangements would be made to rehabilitate lacs of people who have been displaced from foreign countries ? What is the number of Indian refugees migrating from foreign countries ?

Mr. Speaker : The question does not arise out of that.

Shri Prakash Vir Shastri : Then I may ask another question.

Mr. Speaker : He has already asked two questions. If the time allows, I shall call him again.

श्री स० मो० बनर्जी : अब जब कि मंत्री जी ने बताया है कि इन भाग्यहीन बहिनों और भाइयों के पुनर्वास का समूचा प्रश्न युद्ध स्तर पर हल किया जायेगा, क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि का कुछ अंश, कम से कम ५० प्रतिशत, इस पुनर्वास कार्य पर खर्च किये जाने की संभावना है ?

श्री त्यागी : जी नहीं । मैं समझता हूं कि सरकार ने इस समय पुनर्वास के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी है । यदि यह समस्या अग्रेतर बढ़ती रही, तो अधिक धन मंजूर किया जायेगा ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात की ओर आकर्षित किया गया है, जो उन्होंने हसनाबाद और सीमा के अन्य स्वागत केन्द्रों में जाते हुए कहे थे और क्या सरकार को उस मंत्री से, उन स्वागत केन्द्रों तथा अन्य स्थानों पर किये गये स्वास्थ्य प्रबंध और स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो, क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ये सब काम वास्तव में ही युद्ध-स्तर पर किये जा रहे हैं ?

श्री त्यागी : इस रिपोर्ट के प्राप्त होते हुए, तुरन्त निदेश भेजे गये और कुछ कार्रवाई की गई है। यह प्रश्न अचानक आया है। मेरे पास विस्तृत सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मुख्य मंत्रियों तथा राज्य कांग्रेस प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक के संकल्पों का सरकार को न भेजे जाने की बात, हालांकि प्रेस में वह छप चुके थे, इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकारों और राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों को केन्द्रीय सरकार में विश्वास नहीं है?

श्री त्यागी : संगठन द्वारा पारित संकल्पों का सरकार पर अपना जोर होता है, क्योंकि वे उस नीति के द्योतक होते हैं जिसे वे सरकार द्वारा अपनाये जाना चाहते हैं। परन्तु ये चीजें उचित मार्ग से आती हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कार्यकारिणी इन बातों पर विश्वास विचार करती हैं और हमें भेज देती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह है कि क्या विश्वास का अभाव है . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस आश्वासन में, कि समस्या युद्ध-स्तर पर हल की जायेगी, यह निर्णय शामिल होगा कि यदि कृषि कार्य के लिये भूमि लेने की आवश्यकता हुई, जिस पर कुछ शरणार्थियों को बसाना होगा, यह कार्य भी किया जायेगा और यह तर्क रद्द किया जायेगा कि भूमि उपलब्ध नहीं है?

श्री त्यागी : अभी तक राज्य सरकार इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार को कृषि भूमि दे रही हैं। यदि भूमि की कमी हुई और शरणार्थियों को बसाना हुआ, तो निश्चय ही फालतू भूमि प्राप्त की जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सरकार द्वारा इस दावे को उचित ठहराने के लिये विशिष्ट तथा असाधारण क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है कि इस समस्या को युद्ध-स्तर पर हल किया जा रहा है? इस योजना को कार्य रूप देने के लिये कुल कितना नियतन होगा?

श्री त्यागी : मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है। यह इस बात पर निर्भर है कि किस प्रकार की कार्रवाई की जरूरत होगी। लाल फीताशाही समाप्त कर दी गई है और बहुत सा काम टेलीफोन पर किया जाता है ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

श्री नाथ पाई : उन को युद्ध-स्तर के विचार का ज्ञान नहीं है।

श्री ह० प० चटर्जी : उन्होंने बताया है कि समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जायेगा। क्या काम युद्ध-स्तर पर किया जा रहा है? अन्दमान में उन्होंने पहले २०,००० परिवारों को बसाने का फैसला किया। यह १९५२ की बात है। परन्तु वह काम अभी तक नहीं किया गया। अन्दमान में स्थान है . . . .

अध्यक्ष महोदय : १९५२ का युद्ध-स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ह० प० चटर्जी : उन्होंने अभी तक उस काम को पूरा नहीं किया। क्या इस को भी युद्ध-स्तर पर किया जा रहा है। अन्दमान द्वीप समूह में एक छोटा द्वीप अन्दमान है, जिसका क्षेत्रफल ३०० वर्ग मील है, जहां वे ५०,००० शरणार्थियों को, यदि वे चाहें, सुगमतापूर्वक बसा सकते हैं।

परन्तु वे उसे पट्टे पर महाराजा पटियाला को दे रहे हैं। यह बड़ी दुख की बात है। अतः मैं पूछता हूं कि क्या वे वास्तव में ही इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करना चाहते हैं, जब कि अन्दमान में उपरोक्त कार्रवाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इन बातों का उत्तर दिया जा चुका है। वे सुझाव और सूचना दे रहे हैं और उनको वह ध्यान में रखेंगे ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न मूल प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में है। क्या यह सच है कि पूर्वी राज्यों के इस आग्रह पर उनको अवैध रूप से आए हुए पाकिस्तानियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि किसी भी कारण अनधिकृत पाकिस्तानी लोगों को निकालने का काम बन्द किया जाए या कम किया जाए,ताकि पाकिस्तान ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उसको भारत-पाक गृह मत्रियों की मई १९६४ में होने वाली दूसरी बैठक में कोई अभिरुचि नहीं है, क्योंकि अन्ततोगत्वा वे इस बातचीत को बन्द करना चाहते हैं क्योंकि इस समस्य के इस पहलू पर दृढ़ निश्चय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री स्वैल: क्या यह सच है कि अन्य स्थानों में रहने वाले शरणार्थियों की अपेक्षा असम के शरणार्थियों की देखभाल अच्छी तरह की जाती है क्योंकि ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाएं और रामकृष्ण मिशन शरणार्थियों की देखभाल करने में बड़ा योग दे रहे हैं यदि हां, तो क्या सरकार अपने निजी सरकारी अभिकरणों पर निर्भर करने की अपेक्षा इन विविध मिशनों की सेवाओं का अधिक लाभ उठाने के लिये प्रयत्न करेगी ताकि इन शरणार्थियों पर खर्च की जाने वाली राशि का पूर्ण तथा अधिकतम उपयोग हो ?

श्री त्यागी : शरणार्थियों की देखभाल सभी राज्यों द्वारा अच्छी तरह की जा रही है और वे उनको सभी संभव सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि कोई गैर सरकारी अभिकरण हमें किसी प्रकार की सहायता देना चाहती है, मैं सदा स्वीकार करने को तैयार हूं, चाहे वह किसी भी ओर से आये ।

श्री स्वैल : क्या सरकार उनका अधिकाधिक उपयोग करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सदस्य कहते हैं कि ये मिशन, रामकृष्ण मिशन, ईसाई मिशन अपने ंग से अच्छी सेवा कर रहे हैं और वह जानना चाहते हैं कि क्या इन उपायों का अनुसरण करेगी ताकि खर्च की जाने वाली राशि का अधिकतम लाभ हो।

श्री त्यागी : मैं शिविरों से सूचना प्राप्त करके तब कोई निश्चय करूंगा।

श्री स्वैल : जब आप असम आयेंगे तो देख सकेंगे।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा: क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है कि खेतिहर शरणार्थियों के लिये कितनी खेती योग्य झूमि प्राप्त की जा सकती है और किन राज्यों में ?

श्री त्यागी : जी, हां ।

श्री नाथपाई : हमें पहले आश्वासन दिया गया था कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों एवं अवैध प्रवेश करने वालों का प्रश्न उठाया जाएगा ताकि दोनों देशों के गृह मंत्रियों की दूसरी बैठक

में हल ढूंढा जा सके। क्या इस रिपोर्ट में कोई सत्य है कि इस बैठक को समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो किसके कहने पर ?

श्री त्यागी : मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री हो० ना०मुकर्जी : क्या इस सूचना में कोई सत्य है कि अन्दमान में बहुत सी भूमि, जिस पर शरणार्थी बसाये जाने की सुविधायें हैं, किसी प्रकार के करार के अधीन महाराजा पटियाला को दे ी गई है ?

श्री त्यागी : यह प्रश्न संगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न दो या तीन सदस्यों द्वारा पूछा गया है। उनको संदेह है कि जो भमि शरणार्थियों को बसाने के लिए उपलब्ध हो सकती है, वह महाराजा पटियाला को दी जा रही है, और इन विस्थापित लोगों को उन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जो उनको अन्यथा मिल सकतीं ?

श्री त्यागी : यदि शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि उपलब्ध है, चाहे यह महाराजा पटियाला को दी जाए या किसी और व्यक्ति को, मैं गृह मंत्रालय को कहूंगा और उस व्यक्ति को भी, जिसने भूमि ली है, वह कि मुझे इस कार्य के लिये वह भूमि दे दे।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाला पत्र।

श्री हेम बरुआ : आपने यह धारणा दी थी कि आप मुझे सीधे और ठीक रूप में मेरे प्रश्न पूछने देने की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कठिन है। यदि मैं एक सदस्य को अवसर देता हूं, और वह उसका उचित उपयोग नहीं करता, तो मैं उसे दूसरा अवसर नहीं दे सकता।

श्री हेम बरुआ : मैं समझता हूं कि मैंने उसका उचित उपयोग किया था, परन्त आपका निर्णय उसके प्रतिकूल है ।

अध्यक्ष महोदय : सत्र की समाप्ति है, परन्तु मैं इस समय कहूंगा कि मुझे माननीय सदस्यों से प्रार्थना करनी है कि वे अनुपूरक प्रश्न सीध और ठीक रूप में पूछा करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Central Institute for Training and Research in Panchayati Raj

***1308. Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether there is any institution called the Central Institute for Training and Research in Panchayati Raj in the capital ;

(b) When it was set up and how much money has been spent on its building, furniture, library and staff upto the 31st March, 1964 ;

(c) Whether Government have received any complaints of Mismanagement and financial irregularities in the Institution ; and

(d) if so, the action taken by the Administration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The Institute was set up in December, 1961 under the auspicious of the All India Panchayat Parishad with 100%financial assistance from the Government of India for training Principals/Instructors of Panchayati Raj Training Centres. A sum of Rs. 1,79,193.02 had been spent on the rent of building furniture, library and staff of the Institute upto 31st March, 1964. The break-up is as under :—

	Rs.
(i) Rent of building	42,704.67
(ii) Furniture	16,114.20
(iii) Library	10,339.72
(iv) Staff (Salaries allowances)	1,10,034.43
	1,79,193.02

(c) & (d) Some complaints of mis-management and financial irregularities were received in the Ministry during the period from January to March, 1963. The matter was referred to the All India Panchayat Parishad and at their request, the allegations contained in the complaints were duly investigated by an officer of the Ministry. Broadly, the Enquiry Officers finding was that the allegations were not borne out by the facts.

Attemps to Derail Trains in Bihar

*1316. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two cases of sabotage have been unearthed in Bihar during the last six months in which it was intended to derail the trains by removing the lines or fish plates;

(b) whether the involvement of some foreign elements has also been detected; and

(c) if so, the preventive measures being adopted by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) 2 incidents of tampering with railway track between Angarghat and Narhan stations of North Eastern Railway within the State of Bihar have come to notice during the last 6 months. These were registered by the Police under Section 126 of the Indian Railways Act, 1890 and investigations are still proceeding.

(b) The investigations so far made do not show any involvement of foreign elements.

(c) Does not arise.

डाक जीवन बीमा

*१३१७. **श्री बूटा सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा पत्रधारियों से उनके खातों के रखे जाने और उनके बीमों से सम्बन्धित अन्य मामलों के बारे में दो वर्षों में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा कराने वालों के लिए अच्छी सेवा की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए इस कार्य को जीवन बीमा निगम को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) शिकायतों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) डाक जीवन बीमा कार्य को जीवन बीमा निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया था कि इसको पृथक रखना ही सरकारी कर्मचारियों के हित में होगा। सरकार यह समझती थी कि डाक जीवन बीमा को जीवन बीमा निगम को हस्तांतरित करने से डाक जीवन बीमा से बीमा कराने वाले कुछ सुविधाओं से, जो उन्हें अब प्राप्त हैं, वंचित रह जायेंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन अमरीकी कृषि मन्त्री की भारत यात्रा

*१३१८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि का विकास करने के लिए पी० एल० ४८० कार्यक्रम को चलाने और उसकी प्रतिरूप निधियों का उपयोग करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए अमरीकी कृषि मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). अमरीका के कृषि विभाग के सचिव श्री फ्रीमन के भारत के दौरे का मुख्य उद्देश्य पैकेज प्रोग्राम जिलों में हुई, प्रगति को देखना था। नई दिल्ली में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ उनकी बातचीत विशेषत:

देश में कृषि विकास के कार्यों पर पी० एल० ४८० में धन (रुपये) को व्यय करने के बारे में नहीं हुई यद्यपि सामान्य कृषि विकास के उपायों और पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आयात के प्रश्न पर आम तौर पर बातचीत हुई। कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

Harmful Contents Found in Ice Cream

*1319. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri S. L. Verma :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri R. S. Pandey :
Shri Kapur Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that droppings and other harmful contents were found on the 16th April, 1964 in the ice cream sold by the Delhi Milk Scheme booth in Parliament House;

(b) if so, how such foreign matter got mixed up in the ice-cream; and

(c) the measures Government propose to take to prevent the recurrence of such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, some foreign matter was found in a cup of ice cream sold by the Delhi Milk Scheme booth in Parliament House.

(b) and (c) : The foreign matter might have been present in the card board cup before this was filled with ice cream. It could not have been present in the ice cream itself. Instructions have been issued to all concerned that each individual cup should be checked before it is allowed to be filled.

डाक और तार विभाग के अधिकारियों के दौरे

*१३२०. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** :क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्य पर दौरे के लिये जाते समय डाक और तार विभाग के अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों में अपने साथ अपने परिवा ों को ले जाने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके परिवार द्वारा की गई ऐसी यात्रा के लिये उनसे कुछ रुपया वसूल किया जाता है ; और

(ग) गाड़ियों के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों को स्टाफ कारों में दौरों पर अपने परिवारों को ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, हां, इतना अवश्य है कि ये सरकारी गाड़ियां सामान्यत: सदर मुकाम में ही प्रयोग किये जाने के लिये होती है ।

(ख) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रुपये की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा के साथ रेल सम्पर्क

*१३२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा को देश के अन्य भागों के साथ मिलाने वाली पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन पर कितना धन व्यय हुआ है तथा वह कितनी लम्बी है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। कलकाली घाट-धर्मनगर लाइन, जो त्रिपुरा को देश के बाकी भागों से मिलाती है, माल और यात्री यातायात के लिये १-४-१९६४ से खोल दी गई थी।

(ख) लाइन पर लगभग २.३ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान था। वास्तविक लागत का तब ही पता लगेगा जब सभी व्यय लिखा जा सकेगा और काम के पूरे होने का प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा। पटरी की लम्बाई ३१.३५ किलो मीटर/१९.४८ मील है।

"पैकेज प्रोग्राम"

*१३२२. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के जिन क्षेत्रों में "पैकेज कार्यक्रम" (खाद्य उत्पादन का समन्वित कार्यक्रम) नहीं चल रहा है उनमें इसे लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) गहन खती जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) का, जिसे कि प्रत्यक राज्य के एक चुने हुए जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है, तृतीय योजना अवधि में अतिरिक्त क्षेत्रों में विस्तार करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

२८१४. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न डाक और तार सर्किलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये पृथक सूचियां रखी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५८, १९५९, १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में प्रत्येक सर्किल में डाक घर और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षकों, इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों और टेलीग्राफ मास्टरों की श्रेणियों में कुल कितने कमचारी स्थायी किये गये हैं ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक सर्किल में श्रेणीवार कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कमचारियों को स्थायी किया गया ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविभागीय तार संकेतक (टेलीग्राफिस्ट्स)

२८१५. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों, अर्थात्, १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में क्रमशः मद्रास, नई दिल्ली, आगरा, बम्बई और कलकत्ता स्थित भारत में बड़े तार घरों में नियुक्त अविभागीय तार-संकेतकों (टेलीग्राफिस्ट्स) की क्या संख्या है ;

(ख) क्या अविभागीय तार-संकेतक, जो पिछले पांच वर्षों से चले आ रहे हैं, के स्थान पर नियमित कर्मचारियों को भरती करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या नियमित कर्मचारियों की भरती के सम्बन्ध में काम दिलाऊ दफ्तरों की सहायता ली गई थी और यदि हां, तो इन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) :

	केन्द्रीय तारघर, मद्रास	केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली	केन्द्रीय तारघर, आगरा	केन्द्रीय तारघर, बम्बई	केन्द्रीय तारघर, कलकत्ता
१९५८–५९ .	३५	३९	३८	४०	१०७
१९५९–६० .	२६	५१	३०	११	७२
१९६०–६१ .	२७	७३	३५	२३	९७
१९६१–६२ .	३४	७३	३२	३०	८८
१९६२–६३ .	२३	७८	३८	५१	२२

(ख) जी, हां ।

(ग) तार-संकेतकों की भरती क्षेत्र के बड़े समाचारपत्रों में विज्ञापनों के द्वारा की जाती है। आवेदन पत्र काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। नियमित श्रेणी को यथा-सम्भव शीघ्र इसकी पूर्ण अधिकृत शक्ति तक लाने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अविभागीय टेली टाइपिस्ट्स

२८१६. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तार घर नई दिल्ली में १९६२ और १९६३ में कितने अविभागीय (पुरूष) टेली-टाइपिस्ट भरती किये गये ;

(ख) उनमें से किने कामदिलाऊ दफ्तरों के द्वारा भरती किये गये ;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति टाइप के लिये अधिक योग्य हैं ;

(घ) काम सीखने के लिये उन्हें प्रशिक्षण की कितनी अवधि दी जाती है ; और

(ङ) १९६२ और १९६३ में उक्त कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति प्रति घंटा कितना काम था ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क)

१९६२—कुछ नहीं

१९६३—३८

(ख) ३८

(ग) सभी

(घ) २–३ सप्ताह

(ङ) लगभग २३ संदेश प्रति घंटा ।

सड़क विकास योजना

२८१७. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के सड़क विकास योजना (१९६१—८१) के मुख्य इंजीनियिर द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इसे किस हद तक तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) इसे किस हद तक चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). भारत की सड़क विकास योजना (१९६१—८१) सम्बन्धी मुख्य इंजीनियरों के प्रतिवेदन पर विस्तृत विचार भारत सरकार द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय और इनके भावी विकास में विहित दीर्घ-कालीन नीति के प्रश्न की जांच करने के लिये स्थापित की गयी परिवहन नीति तथा समन्वय समिति का अन्तिम प्रतिवदन प्राप्त होने तक आस्थगित कर दिया गया है। तथापि, इस दौरान राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने के लिये सड़क योजनायें बनाने के लिये मुख्य इंजीनियरों के प्रतिवेदन में दी गयी प्राथमिकताओं के क्रम को मार्गदर्शक समझा जाय। यह प्रस्ताव है कि चौथी योजना में भी, जो इस समय प्राथमिक अवस्था में है, आवश्यक समायोजन के साथ ही वही प्राथमिकता क्रम अपनाया जाये।

यंत्रीकृत मछुवा नाव द्वारा मछली पकड़ना

२८१८. **श्री लोलाधर कटकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ब्रह्मपुत्र के गहरे पानी में यंत्रीकृत (मछुआ नाव) ट्रालर द्वारा मछली पकड़ने की व्यवस्था को लागू करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये यदि परियोजना के कोई ब्यौरे बनाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) कुछ समय तक प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था और उसी के परिणामस्वरूप यह विचार किया जा रहा है कि विभिन्न किस्म के पहियों वाली समुद्र के लिये उपयुक्त नौकाओं की सहायता से मछली पकड़ने का काम किया जाये। यह कार्य पूरे वर्ष किया जायेगा। यह अभी प्रयोगात्मक आधार पर किया जा रहा है।

(ख) एक योजना तैयार की जा रही है जिसके अनुसार मछली पकड़ने के काम के लिये आसाम सरकार नावें देगी और भारत सरकार कर्मचारी देगी। आसाम सरकार से केन्द्रीय प्रौद्योगिक संस्था से डिजाइन प्राप्त करने के लिये और २ नावें बनाने के लिये, जिनके लिये २ इंजन उपलब्ध किये जा चुके हैं, कहा गया है।

सहकारी समितियों की लेखा परीक्षण पद्धति

२८१९. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों को वर्तमान लेखा परीक्षण पद्धति में परिवर्तन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन का स्वरूप और प्रशासनिक ढांचा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). जिस पद्धति के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं का लेखापरीक्षण सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की संविहित जिम्मेदारी है उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

इन लेखा परीक्षणों के अलावा महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये परीक्षणात्मक लेखापरीक्षण करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

राज्यों को सहायता

२८२०. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "सहकारिक" शीर्षक के अन्तर्गत १९६३–६४ में विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी राशि दी गई ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८६५/६४]

सहकारी समितियों के निक्षेप

२८२१. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का कोई राज्यवार अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक राज्य में सहकारी समितियों के निक्षेपों पर राष्ट्रीय बचतों का कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र) : कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

Use of Cane Crushers

2822. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that restrictions have been imposed on using animal-driven cane crushers in Karnal, Rohtak and other districts of Punjab and that the farmers have been asked to supply sugarcane to the sugar mills;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how far it will affect the production of gur and raw sugar (Shakkar)?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) :(a) and (b) : No, Sir, no restriction has been imposed on animal-driven cane crushers. The cane growers in sugar factory areas were, however, asked to supply a specified percentage of their production of sugarcane to the mills to maximise sugar production.

(c) This will not affect the production of gur and shakkar.

भाप के इंजन के ड्राइवर

२८२३. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाप के इंजनों के ड्राइवरों और फायरमैनों की एक बड़ी संख्या पूर्वी रेलवे पर बिजली के इंजनों को चलाने के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी गई है और इस प्रकार तबादलों और पदावनतियों के कारण उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा है ;

(ख) क्या कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या, अर्थात् पर्यवेक्षकों, दल, अर्धदल तथा अध्यक्ष मजदूरों को किसी विशेष भाग पर बिजली का काम पूरा होते ही नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को 'इलैक्ट्रिक ट्रेक्शन" अथवा रेलवे के अन्य विभागों में खपाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारी

२८२४. **श्री गुलशन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों की एक बार निश्चित की गई वरिष्ठता को बदला नहीं जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त निर्णय उत्तर रेलवे लेखा विभाग के कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे लेखा विभाग के कुछ श्रेणी १ के क्लर्कों की वरिष्ठता स्थिति को, जिसे कि रेलवे लेखाओं के भूतपूर्व नियंत्रक के दिनांक ४ अगस्त, १९३१ के पत्र द्वारा निश्चित किया गया था, १९६१ में बदल दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो मामलों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां, जिस हद तक ये समाचार पत्रों में छपा है तथापि निर्णय की एक प्रति प्राप्त की जा रही है।

(ख) और (घ). निर्णय की एक प्रति प्राप्त होने पर इसकी जांच की जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

देवरिया सदर स्टेशन पर नीचे का पुल

२८२५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवरिया (उत्तर प्रदेश) की जनता अथवा नगरपालिका ने यातायात की भारी भीड़को दूर करने के लिये देवरिया सदर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) की पूर्वी और पश्चिमी साइडों के फाटकों पर एक निचले पुल के निर्माण के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) अप्रैल, १९५८ में नगरपालिका बोर्ड देवरिया ने देवरिया स्टेशन के पूर्वी सिरे पर वर्तमान फाटक के स्थान पर सड़क के एक ऊपरी/निचले पुल के निर्माण के लिये प्रार्थना की थी, परन्तु योजना आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि नगरपालिका अथवा राज्य सरकार ने सड़क प्राधिकार के कार्य के भाग के लिये अभी तक पैसा नहीं दिया है जो कि विद्यमान नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है । यह योजना तृतीय योजना अवधि में ऊपरी/निचले पुलों के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई है ।

बीमाकृत डाक के लिफाफों का चुराया जाना

२८२६ **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ मार्च, १९६४ के बीच कितने बीमाकृत डाक के लिफाफे चुराये गये ;

(ख) इससे कितनी हानि हुई ;

(ग) यदि कोई राशि वसूल की गई है तो वह क्या है; और

(घ) इन चोरियों के मामलों में डाक विभाग के कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) (क) ७१

(ख) २९३२१.५५ रु०

(ग) २८८० रु०

(घ) १५ कर्मचारियों पर शक है ।

कमलाही फार्म (हिमाचल प्रदेश)

२८२७. श्री प्रताप सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वाडिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री चुन्नी लाल :
श्री सोनावने :
श्री साधू राम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में कमलाही फार्म (ट्टीकांडी) शिमला के निकट कृषि मंत्रालय द्वारा भदरी की रानी साहिबा से १९६२ में १,०१,२४० रु० से खरीदा गया ;

(ख) क्या सम्पूर्ण कमलाही सम्पत्ति उक्त रानी द्वारा केवल ७,७७५ रु० में खरीदी गई थी ;

(ग) क्या सम्पत्ति के खरीदने से पहले हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा छोटी मरम्मत, विद्युतीकरण और सड़क निर्माण के कार्यों पर लगभग ६३,००० रु० की राशि व्यय की गई थी ;

(घ) क्या इमारतों और वृक्षों समेत समस्त सम्पत्ति की कीमत हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा ४१,००० रु० लगाई गई और बाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ५९,००० रु० लगाई गई, परन्तु अन्त में यह १,०१,२४० के बहुत अधिक मूल्य पर खरीदी गई। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या ६३,००० रु० की राशि जो पहले मरम्मत पर खर्च की गई थी रानी साहिबा को अन्तिम रूप से किये गये भुगतान की राशि में से नहीं काटी गई थी; और

(च) यदि हां, तो क्या इस सौदे की कोई जांच की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । वास्तव में ६५,०८४.६३ रु० की राशि व्यय की गई थी ।

(घ) यह सच है कि आरम्भ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा समस्त सम्पत्ति का मूल्य ४१,००० रु० लगाया गया था और तत्पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ५९,००० रु० लगाया गया । १,०१,२४० रु० के पुनरीक्षित अनुमान में मुख्य इमारत, ड्योढ़ी, 'आउट हाउसिज़' 'पौलट्री पेन्स' बाह्य सेवाओं, वृक्षों आदि के मूल्य बिल्कुल वही हैं जो अनुमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये हैं । हां भूमि के मूल्य का अनुमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये २०,७८० रु० के मूल्य की तुलना में ६४,७२९ रु० लगाया गया था ;

इसमें वृद्धि का कारण यह है कि पहले समझौते में इमारत के स्थानों के सम्बन्ध में भूराजस्व कृषि भूमि पर लागू राजस्व के १२ गने की दर पर निर्धारित किया गया था। दूसरी ओर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कृषि भूमि और इमारत की भूमि का मूल्य ३७०.४१ रु० की समान दर से फैलाया था। अतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सम्पत्ति का मूल्य नये अनुमान के अनुसार १,०६,३७५ रु० लगाया। बाह्य सेवाओं और मरम्मत की लागत की ५,१३५ राशि को कुल मूल्य में से घटा दिया गया था। नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार शुद्ध देय राशि १,०१,२४० रु० फैलाई गई। पुनरीक्षित मूल्यांकन गृह-कार्य, वित्त और निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालयों द्वारा स्वीकार किया गया था।

१.	मुख्य इमारत ८२०२ रु०	जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ में अनुमान लगाया गया।
२.	ड्योढ़ी अथवा बाम्दा ११९६ रु०	,,
३.	'आउट हाउसिज़' ५७५९ रु०	,,
४.	'पौल्ट्री पेन्स' १२२८० रु०	,,
५.	बाह्य सेवाएं २५०९ रु०	,,
६.	वृक्षों की लागत ११७०० रु०	,,
७.	भूमि ६४७२९ रु०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये नये अनुमान के अनुसार

कुल १०६३७५ रु०

कटौती	५१३५ रु०
मरम्मतों की लागत	२६२६ रु०
बाह्य सेवाओं की लागत	२५०९ रु०
	५१३५ रु०

भुगतान की गई शुद्ध राशि १०१२४० रु०

(ङ) जी, नहीं। यह राशि भेड़ पालन विकास योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा व्यय की गई थी।

(च) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कोई जांच करने का विचार नहीं है।

रेडियो लाइसेंस

२८२८. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में रेडियो सेटों की एक बड़ी संख्या बिना लाइसेंस के प्रयोग में लाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां । सरकार इस से अवगत है कि कुछ हद तक रेडियो लासेंस का अपवंचन होता है ।

(ख) अधिकांश सर्किलों में सरकार ने सहायक निदेशक (वायरलेस) नियुक्त किये हुए हैं और उनकी सहायता के लिये वायरलेस लाइसेंस इन्स्पेक्टर होते हैं जो कि ऐसे मामलों की बराबर जांच करते रहते हैं और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं ।

Supply of Red Wheat in Dholpur

2829. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that red wheat is being sold at Government Fair Price Shops in Dholpur, Rajasthan which causes ailments and instructions have been given on sign boards put up on the shops on the advice of Doctors to consume the wheat after washing it; and

(b) if so, the country from which such wheat has been imported and why it is being sold?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कृषि प्रयोजकों के लिये बिजली की दरें

२८३०. श्री जसवन्त मेहता :
श्री श्री प्र० क० देव :
श्री योगन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरें ९ नये पैसे प्रति किलोवाट होनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है जिन्होंने योजना आयोग के सुझाव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस संबंध में योजना आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। हां, भारत सरकार राज्य सरकारों से आग्रह करती रही है कि वे अपने विद्युत बोर्डों को इस बात के लिये मनायें कि वे कृषि प्रयोजनों के लिये ९ नये पैसे प्रति यूनिट की अनधिक दरों से बिजली देना मंजूर करें।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, मद्रास, केरल, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब के राज्यों में दर ९ नये पैसे के आसपास अथवा इससे कम है। हां अन्य राज्यों में दर अभी भी ९ नये पैसे से अधिक चल रही है। इन राज्यों से कृषि उत्पादन बोर्ड के हाल के प्रादेशिक सम्मेलनों में दर घटाने के लिये फिर से प्रार्थना की गई है। मामला अब उन राज्यों के विचाराधीन है।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें

२८३१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ से ३१ मार्च, १९६४ के बीच कलकत्ता प्रदेश में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की कितनी विमान सेवाएं रद्द की गईं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख) १५ मार्च से ३१ मार्च, १९६४ के बीच की अवधि में कलकत्ता प्रदेश में ५६७ विमान सेवाएं चलाई जानी थीं और उनमें से २७ पूर्ण विमान सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। इन २७ सेवाओं में से १८ को विमान के न उपलब्ध होने के कारण, ७ को खराब मौसम के कारण और २ को चिटगांव में हड़ताल के कारण रद्द कर दिया गया था।

उड़ीसा में टेलीफोन से आमदनी

२८३२. { **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में टेलीफोन से प्राप्त होने वाली आमदनी की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है।

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) १-११-१९६३ को ५.४६ लाख रु० की रकम बकाया थी, जिसमें से ४.२५ लाख रु० ६ महीने से अधिक से बकाया थे।

(ख) गैर-सरकारी ग्राहकों के मामले में अपराधियों के विरुद्ध—जिनके टेलीफोन कनेक्शन पहले से ही काट दिये गये हैं—बकाया राशि का समय पर पुनरीक्षण करने के लिये एक बोर्ड का गठन किया गया है। रुपये की शीघ्र वसूली के लिये और जहां पर आवश्यक हो कानूनी कार्यवाही करने के लिये बोर्ड विशेष प्रयत्न कर रहा है। सरकारी ग्राहकों को उपयुक्त स्तरों पर बकाया बिलों

के निपटारे के लिए स्मरणपत्र भेजे जाते हैं और अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए भुगतान न करने के संबंध में टेलीफोन के कनेक्शनों के काटने की कार्यवाही लागू की जा रही है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा सर्किल से सम्बंधित टेलीफोन आय कार्यालय को कलकत्ता से कटक ले जाया जा रहा है। इससे बकाया राशि की वसूली में सुविधा मिलेगी।

Bus Service from and to Ramakrishnapuram, New Delhi

2833. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 50,000 people live in the Government Colony named Ramakrishnapuram, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that—

(*i*) no bus service is provided from that colony to Railway Station, Delhi;

(*ii*) no bus service has been provided between Deshbandhu Gupta College—the only college situated in South Delhi and Ramakrishnapuram;

(*iii*) no bus service has been provided between University of Delhi and Ramakrishnapuram; and

(c) if so, when buses would start plying on the above routes?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). About 25,000 persons are estimated to live in Ramakrishnapuram. No direct bus service has been provided between Ramakrishnapuram and the Railway Station, Delhi or Deshbandhu Gupta College or the University of Delhi. The two direct services which operate from Ramakrishnapuram to Kashmere Gate and Ajmeri Gate and *vice versa*, however, touch all the points from which bus services operate from Railway Station, Delhi University, Deshbandhu Gupta College and other important points. In the circumstances it is considered that there is no justification at present to provide direct services on these routes.

Delhi Milk Scheme

2834. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether card holders are being supplied less quantity of milk at various depots of Delhi Milk Scheme;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the Depot Staff purposely give less number of bottles to card holders and sell the remaining bottles at higher price;

(d) whether it is also a fact that the Depot Staff do not make any entry in the card at the time of delivery but make false entries after 2-4 days as a result of which the card holders lose the milk as well as the refund in respect thereof; and

(e) if so, the steps taken by Government to check this malpractice?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) No; full quantity of milk required to meet the commitment to milk card holders is being supplied to milk depots.

(b) Does not arise.

(c) to (e). A few complaints of the type mentioned were received by the D.M.S. authorities. Each complaint was investigated and the amount due to each milk card holder was refunded and the Depot Manager concerned was warned. A circular was also issued on 18-4-64 advising all the Depot Managers that very serious notice, which may mean immediate removal from service, would be taken if a Depot Manager failed to supply milk to a card holder and sold it against cash payment.

Delhi Guest Control Order

2835. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any restriction has been imposed on entertaining more than 100 guests to dinner in Delhi;

(b) if so, whether the restriction relates to wheat and rice preparations only or whether more than 100 guests cannot be entertained at all;

(c) the particulars of wheat and rice preparations for which restriction has not been imposed on entertaining more than 100 guests;

(d) the sweets and salted preparations that are exempt from any restriction; and

(e) since when the restriction has been imposed and for how long it would continue ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). Restriction has been imposed on serving preparations of rice and wheat to more than one hundred persons including the host or hosts on any one day.

(c) and (d). The restriction is not applicable to biscuits, cakes, pastries, samosas and mathris.

(e) The restriction has been imposed from March 28, 1964, and will continue as long as it is considered necessary.

मद्रास में विद्यत् चालित रेलगाड़ियों से व्यक्तियों का गिर जाना

२८३६. **डा० श्रीनिवासन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ और १९६३-६४ में मद्रास में विद्युतचालित रेलगाड़ियों से व्यक्तियों के गिर जाने की कितनी घटनाओं की सूचना मिली थी ;

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या विद्युतचालित रेलगाड़ियों के दरवाजों को खोलने और बन्द करने के लिए किसी स्वयंचालित कशीन को लगाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि लन्दन ट्यूब रेलवेज में किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

१९६२–६३	१८
१९६३–६४	१९
(ख)	
१९६२–६३	५
१९६३–६४	७

(ग) जी, नहीं। इस व्यवस्था को एक बार प्रयोग में लाया गया था, परन्तु यह असफल रही क्योंकि यात्री दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और यह व्यवस्था काम नहीं कर सकती और इस प्रकार गाड़ियों को ठहरना पड़ता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की स्मृति में डाक टिकट

२८३७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की पिछली जन्म गांठ पर उनके मान में डाक टिकट जारी करने के लिए बड़ा आग्रह किया ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने :

(ग) क्या लगभग प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के हमारे लोगों ने भी इसी प्रकार की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दोनों मांगों को पूरा करने के लिए डाक टिकटों को पुनः छापना चाहती है ; और

(ङ) भारत तथा विदेशों में दोनों मूल्यों की अलग अलग कुल कितने टिकट बेची गई, प्रत्येक विदेश को पृथक पृथक कितने टिकट दिये गये ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) पूर्ण जानकारी अभी प्राप्त नहीं है परन्तु अब तक जो समाचार मिले हैं उनसे पता चलता है कि न केवल दक्षिण एशिया के देशों से ही बड़ी मांग आई है परन्तु पश्चिमी देशों ने भी बड़ी मांग की है।

(ख) अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उससे यह बतलाया जा सकता है कि मांग मलेशिया, पश्चिम जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, टांगानिका, कनेडा, ईरान और स्विटजरलैंड से प्राप्त हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं की गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी। तथापि यह कहा जा सकता है कि अब तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि ७, १८,७९८.४० रुपये के मूल्य के डाक टिकट टिकट-संकलन ब्यूरो और चने हुए मुख्य डाक घरों के

द्वारा बेचे गये हैं। छपे हुए टिकटों का कुल मूल्य १४ लाख रुपये था। टिकट अभी भी टिकट-संकलन ब्यूरो में उपलब्ध हैं।

दूर संचार इंजीनियर

२८३८. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार सेवाओं की कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से नयी दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में मुख्य तारघरों का भार संभालने के लिए ऊंची योग्यता वाले और अनुभवी दूर संचार इंजीनियरों को नियुक्त करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के रेलवे कर्मचारी

२८३९. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने २० अप्रैल, १९६१ को यह आदेश जारी किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके पुष्टिकरण के आदेश के अनुसार होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय ने दिनांक २० जुलाई १९६२ के अपने परिपत्र संख्या ई(एस सी टी)/६२—सी एम १५/७ में यह आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति/आदिम जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता चुनाव बोर्डों द्वारा निर्धारित किये गये स्थानों के अनुसार निर्धारित की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) गृह-कार्य मंत्रालय ने २०-४-१९६१ को आदेश जारी किया था कि सामान्यतया स्थायीकरण का क्रम योग्यतासूची में उम्मीदवार के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये लेकिन जब सामान्य नियम से परे किसी निम्न स्थान पर होने पर भी उसे स्थायीकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है तो वरिष्ठता के मामले में भी उसे ऐसी अपवादात्मक प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(ख) और (ग). रेलवे मंत्रालय का पत्र संख्या ई (एस सी टी) ६२ सी एम १५/७ दिनांक २०-७-१९६२ सभी रेलों को भेजा गया परिपत्र नहीं था । वह केवल पूर्व रेलवे को किसी गलत प्रक्रिया को, जो उस रेलवे में लागू थी, ठीक करने के लिए भेजा गया था । गृह कार्य मंत्रालय ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि २०-७-१९६२ के रेलवे मंत्रालय के पत्र के अनुसार सूची दीर्घकालीन नियुक्तियों के समय ही लागू की जायगी और स्थायीकरण के समय सूची को नये तरीके से लागू नहीं किया जायगा ।

रेलवे मंत्रालय ने इस बीच सभी रेलों को एक परिपत्र भेज कर सूची लागू करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की । वरिष्ठता के संबंध में रेलवे में नियम यह था कि वरिष्ठता योग्यता क्रम से प्रशासित होगी । स्थायीकरण वरिष्ठता के क्रम से किया जाता है । चूंकि रेलवे में अपनी बारी से बाहर किसी को स्थायी नहीं बनाया जाता इसलिए सामान्य नियम के अपवादरूप कोई मामले नहीं हैं जिन पर २०-४-१९६१ के गृह कार्य मंत्रालय के आदेश लागू किये जायें ।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना

२८४०. **श्री बूटा सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके निगम की सीमा के अन्तर्गत अपने मकान हैं और जिन्हें दिल्ली में सरकारी क्वार्टर भी मिले हुए हैं ;

(ख) डाक और तार विभाग के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें विभाग में १५ साल से अधिक नौकरी करने के बाद अब भी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित जिन कर्मचारियों के अपने मकान हैं और जिन्हें क्वार्टर मिल हुए हैं ; उन्हें फिर से क्वार्टर दिये जाने की कोई योजना है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) २३ ।

(ख) ९१९ ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित २३ मकानों में से १८ मकान कार्यालय से ६ मील से अधिक की दूरी पर हैं। उनका नियतन वर्तमान विभागीय नियमों के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता । बाकी पांच मामलों के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल हो रही है और खाली किये गये क्वार्टर आवंटन के नियमों के अनुसार पुनः दिये जायेंगे ।

लम्बी दूरी की नयी रेलें

२८४१. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में बहुत ज्यादा भीड़ को दूर करने के लिये देश में बहुत शीघ्र लंबी दूरी वाली सात रेलगाड़ियां चालू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क और (ख). आने जाने वाले यात्रियों की संख्या और कुछ सेक्शनों में उपलब्ध गाड़ियों की संख्या को देखते हुए अक्तूबर, १९६४ तक निम्नलिखित गाड़ियां चालू करने का फिलहाल निश्चय किया गया है । यह संख्या ७ की गाड़ी १-५-६४ से चालू की गई है :—

(१) लखनऊ और सिलिगुड़ी तथा लखनऊ और गौहाटी के बीच अर्धसाप्ताहिक सैनिक मेल गाड़ियों की जगह लखनऊ और गौहाटी के बीच रोजाना दो एक्सप्रेस गाड़ियां ।

(२) टाटानगर और खड़गपुर के बीच दो सवारी गाड़ियां ।

(३) दिल्ली और बरौनी के बीच दो एक्सप्रेस गाड़ियां ।

(४) एरोडे और बंगलौर के बीच दो गाड़ियां ।

(५) वर्तमान अर्ध-साप्ताहिक सदर्न एक्सप्रेस की जगह हफ्ते में पांच दिन नयी दिल्ली और मद्रास के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी ।

(६) बम्बई वी०टी० से मद्रास सेन्ट्रल तक वर्तमान सप्ताह में तीन बार जनता गाड़ियों की जगह १-६-६४ से रोजाना जनता एक्सप्रेस गाड़ी । यह गाड़ी जून और जुलाई, १९६४ में उन दिनों जब कि गर्मी की भीड़ हटाने के लिये स्पेशल गाड़ियां चलाने की योजना बनायी जा चुकी है, बम्बई वी० टी० और कोचीन बन्दरगाह के बीच साधारण एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चलेगी ।

(७) एर्नाकुलम से और वहां तक मौजूदा ८८५/८८४ कोट्टायम–क्विलोन सवारी गाड़ियों को बढ़ा कर १-५-६४ से क्विलन-एर्नाकुलम सेक्शन में दो सवारी गाड़ियां ।

टेलीग्राफमेन को बकाया

२८४३. **श्री सोलंकी** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टास्क वर्क मेसेन्जरों के, जिन्हें अब टेलीग्राफमेन कहा जाता है नये वेतन क्रम १-७-१९५९ से लागू किये गये हैं लेकिन १-७-१९५९ से १-१०-१९६२ तक उन्हें कोई बकाया नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १-७-१९५९ से १-१०-१९६२ तक की अवधि के लिये उन्हें बकाया देने के लिये क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). टास्क वर्क मेसेन्जरों को जिन्हें अब टेलीग्राफमेन कहा जाता है, भेजे गये प्रत्येक संदेश के आधार पर फुटकर काम की

आमदनी सहित निर्वाह भत्ता दिया गया था। २-८-१९६० को यह अधिसूचित किया गया था कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवर्तित वेतनक्रम १ जुलाई, १९५९ से लागू होंगे। लेकिन टेलीग्राफमेन के मामले में यह कहा गया था कि परिवर्तित वेतनक्रम में वेतन निर्धारित किये जाने वाले स्टैण्डर्ड से ऊपर कार्य-उत्पादन से सम्बन्धित अतिरिक्त अदायगियों (प्रोत्साहन अदायगी) की नयी प्रणाली के अधीन दिया जायगा।

टेलीग्राफमैन के लिये नई प्रोत्साहन योजना १ अक्तूबर, १९६२ को चालू की गई थी। चूंकि यह योजना भतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती थी इसलिये बकाया वसूल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ३० सितम्बर, १९६३ तक टेलीग्राफमेन को निर्वाह भत्ता और फुटकर काम से आमदनी (टास्क वर्क अर्निंग्ज) जो उन्हें पहले मिलती रही, दी गई है।

New Telephone Factory

2844. **Shri Chuni Lal :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have taken a decision to set up another Telephone Factory like the Indian Telephone Industries, Bangalore; and

(b) if so, the location thereof and the time by which it would be set up ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) and (b). No, Sir. To begin with the manufacture of the new equipment which will be of the cross bar type is being set up in the existing telephone factory Bangalore itself. The question of establishing another telephone factory is being examined in connection with the proposals for the fourth five year plan of the Posts and Telegraphs Department.

रिहायशी डाक प्रशिक्षण केन्द्र

२८४५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और दक्षिणी खंडों में रिहायशी डाक प्रशिक्षण केन्द्र कायम करने की योजना समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या योजना को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इन दो केन्द्रों के लिये स्थान चुने जा चुके हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). मैसूर में एक इमारत खरीदने और हजारीबाग में एक जमीन प्राप्त करने के प्रश्न की छानबीन हो रही है।

पश्चिम बंगाल में चावल की कमी

२८४६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चावल की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी कमी है ;

(ग) क्या चावल पैदा करने वाले क्षे ों से पश्चिम बंगाल में चावल के आयात के लिये अनुमति दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पश्चिम बंगाल राज में चावल की कमी है ।

(ख) विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण न होने की दशा में खपत की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना कठिन है और इसलिए पश्चिम बंगाल में चावल की कमी हैं ।

(ग) पश्चिम बंगाल और उ ीसा को एक ही चावल क्षेत्र मे शामिल किया गया है और उड़ीसा का अतिरिक्त चावल व्यापार के लिये पश्चिम बंगाल को अगाध रूप से भेजा जा सकता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेडियो टेलीफोन सम्पर्क

२८४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के साथ कलकत्ते का रेडियो टेलीफोन सम्पर्क है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसका सम्बन्ध कायम किया जायेगा; और

(ग) उसका पूर्वी प्रदेश के किस भागों से सम्बन्ध हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ; कलकत्ता, माइक्रोवेव टेलीफोन लिन्क द्वारा उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग सिलिगुडी और कूच बिहार के साथ जोड़ दिया जायेगा ।

(ग) इस समय पूर्वी प्रदेश में अगरतला, गौहाटी और पोर्ट ब्लेयर (अन्डमान) के साथ कलकत्ते का एच० एफ० रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध है ।

लौह अयस्क लाने ले जाने के लिए नदी तथा रेल मार्ग

२८४८. **श्री पें० वेंकटसुब्बया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि बालाडीला लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क लाने ले जाने के लिये कोट्टावलसा-बालाडीला रेल मार्ग के अनुपूरक के तौर पर एक नदी तथा रेल मार्ग कायम किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार का क्या निश्चय है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, लिमिटेड रेल तथा नदी मार्ग से बालाडीला से काकीनाडा तक लौह अयस्क भेजने की उपयुक्तता और लाभ-हानि के विषय पर विचार कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंचरत्न से गौहाटी तक रेलवे लाइन

२८४९. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (१) पंचरत्न से गौहाटी तक बड़ी लाइन और (२) आसाम में गारो पहाड़ियों में बड़ी लाइन पर किसी उचित स्थान से दारानगिरी तक छोटी शाखा लाइन बनाने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये लाइनें संभवतः कब तक पूरी हो जायेंगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पंचरत्न से गौहाटी तक बड़ी लाइन के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। गारो पहाड़ियों में दारानगिरी तक छोटी लाइन बनाने के सम्बन्ध मे १९५४-५५ मे निम्नलिखित रेखांकन के लिये यातायात सर्वेक्षण किये गये थे :

(१) दारानगिरी--अमजंगा--पांडू--९९.५७ मील।

(२) दारानगिरि--डलगोमा--५३.०६ मील।

(३) दारानगिरि--बोनगाई गांव--९०.४७ मील।

(ख) प्रस्तावित लाइनों में से कोई भी लाइन तीसरी योजना की अवधि में नई लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में रेलवे के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इस लिये इस योजना में इन लाइनों का निर्माण आरम्भ किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

नौगांग डाकखाना

२८५०. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नौगांग डाकखाने में टेलीप्रिन्टर और स्टाम्पिग मशीन लगाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निश्चय किया गया है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) आसाम में नौगांग डाकखाने मे टेलीप्रिन्टर लगाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। फिर भी स्टाम्प कैंसलिंग मशीन लगाने के लिये कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है ?

(ख) टेलीप्रिन्टर के लिये मंजूरी दी जा चुकी है। स्टाम्प कैंसलिंग मशीन लगाने के प्रश्न की छानबीन की जायेगी।

टेलीफोन और तार सम्बन्ध

२८५१. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कितनी पुलिस चौकियों और खंड मुख्य कार्यालयों को अभी सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों और अथवा तार सम्बन्धों से जोड़ना बाकी है; और

(ख) ये सम्बन्ध कायम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) आसाम डाक और तार मंडल में ३१ पुलिस चौकियां बिना तार कार्यालय और ४८ पुलिस चौकियां बिना सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय के हैं ।

आसाम मंडल में १०० खंड मुख्य कार्यालय में तार कार्यालय और १२५ में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय नहीं हैं ।

(ख) खंड मुख्य कार्यालय और पुलिस चौकियों में तार की सुविधाएं देने का निश्चय अभी हाल मे किया गया है । प्रत्येक कार्य और उसके लिये जरूरी सामान का ब्योरा तैयार किया जा रहा है । ऐसी चौकियों पर टेलीफोन की सुविधाएं देने के लिये कोई रियायत नहीं दी जाती ।

भारत-लेबनान विमान वार्ता

२८५२. **श्री द्वारका दास मन्त्री :**
श्री रामपुरे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६४ में भारत और लेबनान सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच विमान परिवहन के बारे में चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ?

(ख) दोनों देशों के अपने अपने विमानों के वर्तमान और भावी संचालन कार्यों पर चर्चा हुई थी और दोनों ही देशों के लिये संतोषजनक व्यवस्था मंजूर कर ली गई थी ।

रेलवे सम्पत्ति का नुकसान

२८५३. **श्री ह० च० सोय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल के साम्प्रदायिक उपद्रवों में दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा है क्या इसका अब तक कोई अंदाजा लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, लगभग ६,४०० रुपये

(ख) टाटानगर मे रेलवे क्वार्टरों की क्षति लगभग	५,५५० रुपये
बोन्डामुडा में सहायक इंजीनियर के कार्यालय को क्षति	३५०० रुपये
राजखरसवां में भीड़ द्वारा रेलवे सामान की चोरी	३५० रुपये
जोड़	६,४०० रुपये

चावल और धान की वसूली

२८५४. **श्री मोहन नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने १९६३–६४ में कितना चावल और धान वसूल किया ; और

(ख) उसमे से कितना उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिया ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १९६३-६४ (नवम्बर से अक्तूबर) में उड़ीसा सरकार ने १४ अप्रैल १९६४ तक लगभग २९.६ हजार मेट्रिक टन चावल और ६.३ हजार मेट्रिक टन धान वसूल किया ।

(ख) वसूल किये गये स्टाक में से कोई हिस्सा केन्द्रीय सरकार को नहीं दिया गया है ।

पूना का कृषि कालेज

२८५५. **श्री तन सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ऋतु विज्ञान विभाग द्वार पूना के कृषि कालिज में मिट्टी का तापमान मापने के उपकरण बनाने के लिये एक अनुसंधान योजना आरम्भ की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग द्वारा स्वयं इस कार्य को एक नियमित कार्य के रूप मे आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) कथित कालेज में इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) पूना के कृषि कालेज फार्म मे स्थापित कृषि ऋतु विज्ञान वेधशाला में भारत के ऋतु विज्ञान विभाग के एक सेवा निवृत वैज्ञानिक द्वारा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनसंधान परिषद से प्राप्त अनुसंधान अनुदान पर मिट्टी का तापमान नापने के कुछ नये उपकरण बनाने के लिये एक अनुसंधान योजना आरम्भ की गयी है ।

(ख) इस विभाग द्वारा एक भिन्न तरीके से नियमित आधार पर मिट्टी में नमी मापी जा रही है ; इस तरीके को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विश्वसनीय बताया है । तथापि, क्योंकि वर्तमान परियोजना द्वारा अन्य प्रकार के उपकरण बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, इस अनुसंधान के लिये वैज्ञानिकों को आवश्यक प्रयोगशाला सुविधाएं दी गयी हैं ।

(ग) तापीय तथा विद्युत सम्बंधी तरीके अपना कर कुछ प्राथमिक अध्ययन के बाद, एक सुवाह्य प्रयोगशाला माडल औजार तैयार किया गया है और यह परीक्षणाधीन है ।

(घ) जुलाई, १९६२ से मार्च, १९६४ तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा लगभग १२,३०० रुपये व्यय किये गये हैं ।

Theft of Steel Goods

2856. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain steel goods and fish plates were stolen from a Railway Godown near Sultanpur Lodi Station on Jullundur-Ferozepur Section of the Northern Railway;

(b) if so, the quantity of the goods stolen; and

(c) the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The correct position is that cast iron pedestal plates were stolen from the railway track between Khojewala to Kapurthala and Dudwindi to Sultanpur Lodi Stations on Ferozepur-Jullundur Section of the Northern Railway and not from the Railway Godown.

(b) 1451 C. I. Plates worth Rs. 13, 000/-.

(c) The matter was immediately reported to the Government Railway Police, Jullundur City who registered a case U/S 3/51/55 Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955 read with Sections 379 and 411 I.P.C. 400 maunds of broken pieces of cast iron pedestal plates amounting to Rs. 7,000/- were recovered. 12 persons have been arrested. The case is still under investigation.

दिल्ली में रेलवे पदाधिकारियों का पारगमन शिविर

२८५७. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे द्वारा नई दिल्ली में लाजपत नगर में रेलवे पदाधिकारियों का पारगमन शिविर का निर्माण किया गया और गोदाम बनाये जाने और नींव भरे जाने के बाद, निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). नींव की जांच आरम्भ होने के बाद लाजपत नगर के स्थान को अस्थायी शिविर के अनपयुक्त समझा गया और इसलिये वहां पर पारगमन शिविर का निर्माण बन्द कर दिया गया । वहां पर लगभग २००० रुपये व्यय हुए ।

कृषि के लिये उत्पादिता परिषद्

२८५८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के लिये एक पृथक् उत्पादिता परिषद स्थापित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिषद के गठन और कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपयोगिता केन्द्र

२८५९. **श्री राम हरख यादव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों के हित के लिये दिल्ली के गांवों के लिये "उपयोगिता केन्द्र" स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इन केन्द्रों को ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम सहकारी समितियां चलायेंगी । प्रत्येक केन्द्र को ५० प्रतिशत लागत पर बिजली से चलने वाली कण्डनी (थ्रेशर) और सूय (विन्नोवर), गन्ना पेरने की मशीन, भूसा काटने की मशीन, आटा मिल आदि दिये जायेंगे । किसानों को उचित शुल्क देने पर मशीनों का इस्तेमाल करने दिया जायेगा । इस शुल्क में इसके चलाने की लागत, मूल्य ह्रास पूंजी पर ब्याज और थोड़ा सा रिजर्व शामिल होगा । किसानों को अपनी फसल साफ करने के लिये सुगम साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना से कृषि कार्य बढ़ाने के लिये समय अधिक मिल सकेगा । इससे अधिक समय तक रखे जाने के कारण कटी हुई फसल भी कम खराब होगी ।

(ग) यह योजना इस वर्ष लागू की जा रही है ।

डाक बचत बैंक खाते

२८६०. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या डाक और तार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन, नई दिल्ली के उप-डाक घर मे नवीकरण अथवा ब्याज दर्ज कराने के लिये जमा कराई गयी बचत बैंक खाता पास बुकें खातेदार को एक महीने के बाद भी लौटायी नहीं जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतनी देर के बाद भी अधिकांश पास बुकों में ब्याज दर्ज नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) संसद भगन के डाक घर में एक मामले मे लेखापरीक्षा कार्यालय से ब्याज के बारे मे सूचना प्राप्त न होने के कारण एक महोने से अधिक विलम्ब हुआ ।

(ख) कुछ मामलों में डाकघर नें लेखापरीक्षा कार्यालय में लेखों की शेष रकम में अन्त होने के कारण पास बुकों में ब्याज की रकम दर्ज नहीं की जा सकी ।

(ग) पुनरीक्षित लेखापालन प्रणाली लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत मुख्य डाक घर ३१ मार्च के बाद जैसे ही और जब भी कोई लेन देन हो लेखापरीक्षा कार्यालय से ब्याज के बारे में सूचना प्राप्ति पर निर्भर किये बिना बचत बैंक खातों में ब्याज की रकम जोड़ना शुरु कर देगा। खातेदारों को कुछ दिनों में पासबुकें लौटा दी जायेंगी।

हैदराबाद-भुवनेश्वर-कलकत्ता विमान सेवा

२८६२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीन राज्यों की राजधानियों, हैदराबाद, भुवनेश्वर और कलकता को, दैनिक विमान सेवा लागू करके, मिलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस बारे में सरकार को अभ्यावेदन किये हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

सहकारी समितियां अधिनियम

२८६३. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सहकारी समितियां अधिनियमों के मामलों के संग्रह का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह संग्रह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना की जांच

२८६४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के समीप इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमान के टूट कर गिर जाने के कारणों का पता लगाने के लिये स्थापित किये गये जांच न्यायालय का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : जांच अभी चल रही है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

२८६५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले तीन महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में ग्रस्त और मारे गये बच्चों की संख्या में वृद्धि हुयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) दिल्ली में जनवरी, फरवरी और मार्च, १९६४ में हुई उन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, जिनमें बच्चे ग्रस्त हैं, १३५ है और उनमें १६ बच्चे मारे गये। जनवरी, फरवरी, मार्च १९६३ के महीनों में ये आंकड़े क्रमशः ९९ और ११ थे जबकि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९६३ में ये आंकड़े क्रमशः १४३ और २३ थे।

(ख) सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ;

(१) एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के अधीन दिसम्बर, १९६२ से सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिये पृथक् कर्मचारी रखे गये हैं।

(२) शिक्षा संस्थाओं में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन सम्बंधी भाषण दिये जा रहे हैं। दिसम्बर, १९६२ से ये भाषण ३६ स्कूलों में २५,००० विद्यार्थियों को दिये गये हैं और जिन्हें सड़क के इस्तेमाल के बारे में व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराये गये हैं।

(३) विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा सम्बंधी फिल्में दिखायी गयीं। आकाशवाणी के जरिये बच्चों और अन्यों के लिये सड़क सुरक्षा के बारे में टेलीविजन शो का भी आयोजन किया गया।

(४) बच्चों में सड़क सुरक्षा सम्बंधी पर्चे बांटे गये हैं।

(५) कुछ स्कूलों के शारीरिक शिक्षा निदेशकों को विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा सम्बंधी निर्देश देने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

(६) मोटर चालकों को सावधान करने के लिये सड़कों के किनारे स्थित लगभग सभी स्कूलों के नजदीक चेतावनी साइन बोर्ड लगा दिये गये हैं।

(७) स्कूलों के निकट सड़कों पर उचित स्थानों पर पैदल रास्ता बना दिया गया है। इन स्थानों पर "पैदल यात्रा पथ" लिखे बोर्ड भी लगा दिये गये हैं।

(८) उन क्षेत्रों में, जहां अधिक संख्या में स्कूल हैं, रफ्तार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(९) मार्च, १९६४ से इर्विन रोड, नई दिल्ली में बच्चों के लिये यातायात प्रशिक्षण पार्क चल रहा है। प्रातः काल इस पार्क में यातायात पुलिस द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सायंकाल में, यह पार्क एक विशिष्ट आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये खुला रहता है।

खाद्यान्न का उत्पादन

२८६६. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्न के उत्पादन का कोई अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) जी, अभी नहीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव इस समय बड़ी प्रारंभिक अवस्था में है।

पश्चिम जर्मनी से उर्वरक

२८६७. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत को उर्वरक देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार और पश्चिम जर्मनी की सरकार के बीच मंडी जिला (हिमाचल प्रदेश) में एक गहन कृषि विकास परियोजना लागू करने के लिये हुए एक करार के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी की सरकार ने मुफ्त उपहार के तौर पर ८३,०२० किलोग्रम मिश्रित उर्वरक, ५०२५ किलोग्रम फोस्फेटिक उर्वरक और १०१०७ किलोग्राम क्युरियट आफ पोटाश दिया है जिसका मूल्य ५४,७४० रुपये है । बाकी पेशकश के बारे में अभी प्राथमिक बातचीत चल रही है ।

Delhi—Srinagar Air Service

2869. Shri Siddheshwar Prasad : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) Whether Government have made any arrangements whereby Delhi-Srinagar air service would continue in spite of bad weather conditions ;

(b) If so, the steps so far taken in this direction ; and

(c) When it would be possible ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) to (c). The feasibility of installing Ground Controlled Approach System at Srinagar Airport is under examination. However, any addition or combination of known radio or radar aids to navigation and landing cannot completely solve the problem as landings ultimately have to be carried out manually by the pilots by visual reference to the ground.

छोटे ट्रैक्टर

२८७०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे ट्रैक्टरों और उनके लिये उपयुक्त औजारों के बारे में अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान के परिणामों को छोटे छोटे किसानों के हित के लिये प्रकाशित किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, इसके सहकारी केन्द्रों और ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुढनी में छोटे ट्रैक्टरों और उनके लिये उपयुक्त औजारों के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। परिणामों को प्रकाशित किया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

चौथे वित्त आयोग का गठन

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं संविधान के अनुच्छेद २८० के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा चौथे वित्त आयोग के गठन के बारे में वित्त मन्त्रालय की दिनांक ५ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या एफ० १३ (१)—बी/६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २८५०/६४ ।]**

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे

निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी । गई । देखिये संख्या एल० टी० २८५१/६४]

भारतीय केन्द्रीय कपास समिति तथा भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस): मैं डा० राम सुभग सिंह की ओर से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(४) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २८५२/६४]

(५) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५३/६४]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री अ० म० थामस : मैं (६) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १४ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४३ में प्रकाशित गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, विधेयक, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५४/६४]

असैनिक उड्डयन विकास निधि के बारे में संकल्प, एयर इंडिया तथा एयरलाइन्स कारपोरेशन का आय-व्ययक

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति

सभा पटल पर रखता हूं :

(७) असैनिक उड्डयन विकास निधि स्थापित करने के बारे में दिनांक २७ अप्रैल, १९६४ के सरकारी संकल्प संख्या ६ एसी (१३)/६३ की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५५/६४]

(८) विमान निगम नियम, १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६४–६५ के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५६/६४]

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६२–६३ के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९६३–६४ के बजट प्राक्कलनों तथा संशोधित प्राक्कलनों और वर्ष १९६४–६५ के लिये पूंजी के अन्तर्गत बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५७/६४]

(ग) एयर-इंडिया कारपोरेशन की वर्ष १९६४–६५ के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५८/६४]

(घ) एयर-इंडिया कारपोरेशन के वर्ष १९६२–६३ के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९६३–६४ के बजट प्राक्कलनों तथा संशोधित प्राक्कलनों और वर्ष १९६४–६५ के लिये पूंजी के अन्तर्गत बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८५९/६४]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अभिसमयों पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही

श्री अ० म० थामस : मैं (९) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९६२ में जेनेवा में हुए अपने ४६वें अधिवेशन में स्वीकार किये गये अभिसमयों तथा सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले एक विवरण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८६०/६४]

संसदीय समितियां

PARLIAMENTARY COMMITTEES

कार्यवाही सारांश

श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं चालू सत्र में हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की आठवीं और नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री तिरुमल राव (काकीनाड़ा) : मैं चालू सत्र में हुई याचिका समिति की बैठकों (नवीं से बारहवीं) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं सचिव, राज्य सभा, से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देना चाहता हूं :

(एक) कि राज्य सभा अपनी ३० अप्रैल, १९६४ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २४ अप्रैल, १९६४ को पास किये गये सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक १९६४ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी ३० अप्रैल, १९६४ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २४ अप्रैल, १९६४ को पास किये गये सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक , १९६४ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(तीन) कि राज्य सभा की लोक-सभा द्वारा २७ अप्रैल, १९६४ को पास किये गये विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चवालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकीनाड़ा) : मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

लोक-सभा के आगामी सत्र के बारे में

RE : NEXT SESSION OF LOK SABHA

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह ठीक है कि लोक-सभा का आगामी स २७ मई को आरम्भ होगा और, यदि हां, तो उसमें प्रश्न-काल होगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैं नहीं कह सकता कि सत्र होगा या नहीं परन्तु यदि सत्र होगा तो प्रश्न-काल अवश्य होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला से चल रही बातचीत के विषय में वक्तव्य देंगे ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिये कल संसद्-कार्य मंत्री को एक निश्चित वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन से मालूम करूंगा ।

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री संशोधन विधेयक—जारी

DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : प्रवर समिति ने दो मुख्य बातों को ध्यान में रख कर यह सिफारिशें दी हैं : एक तो यह कि स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों से लोगों की रक्षा की जाय और दूसरे यह कि इस व्यवसाय सम्बन्धी हितों का कल्याण हो। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों को भी भेषज अधिनियम की सीमा में लाया गया है। पिछले १० वर्षों में आयुर्वेदिक औषधि उद्योग ने काफी प्रगति की है इसलिये यह सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह देखे कि यह औषधियां वैज्ञानिक ढंग से तैयार की जाय और यह स्वास्थ्य के लिये हानिकर न हों।

हमारे देश में १०० करोड़ रुपये की औषधियों का निर्माण होता है। बहुत से लोग इस उद्योग में काम करते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या इस औषधियों से प्रभावित होती है। कुछ समय पूर्व कहा गया था कि औषधियों में अपमिश्रण करने वालों को कड़ी सजायें दी

[डा० द० स० राजू]

जानी चाहिये। तदनुसार संशोधन विधेयक में, जुर्माने के साथ या जुर्माने के अतिरिक्त कम से कम एक वर्ष की कैद और अधिक से अधिक दस वर्ष की कैद के दण्ड का सुझाव दिया गया है। परन्तु समिति ने कहा है कि यदि न्यायालय चाहे तो इस दण्ड की कम कर सकते हैं।

समिति ने कई अन्य सिफारिशें की हैं। शब्द "अपमिश्रण" का प्रयोग पहली बार किया गया है। जैसा कि मैंने कहा यह उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही साथ अब औषधियों में काफी अपमिश्रण होने लगा है। हमें इसे रोकना है और साथ ही साथ यह भी देखाना है कि आयुर्वेद व्यवसाय या ब्यापार को भी हानि न हो। इसीलिये औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण के मामले में सीमित नियंत्रण का ही उपबन्ध किया गया है। प्रवर समिति ने भी यही सिफारिश की हैं। उनकी सिफारिश उस प्रकार हैं जहां औषधियों का निर्माण होता है वहां सफाई रखने सम्बन्धी शर्तें रखना निर्माणशालाओं में काम करने वालों को कच्चे माल की पहचान होना; बोतलों पर लेबल होना। आयुर्वेदिक उद्योग में यही तीन शर्तें लागू की गयी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ५०० रुपये जुर्माना या इसके साथ ३ मास तक कैद की सजा का उपबन्ध होना चाहिये, जो न्यायालय द्वारा कम भी किया जा सके। अब, आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु उनके बेचने के लिये नहीं। आधुनिक औषधियों के अपमिश्रण के लिये दण्ड बढ़ा कर १ से १० वर्ष तक कैद का उपबन्ध किया गया। निम्न स्तर की औषधियों के लिये अधिक से अधिक ३ वर्ष का दण्ड रखा गया है। सम्पत्ति जब्त करने के लिये भी उपबन्ध किया गया है। परन्तु सरकारी निर्माताओं के लिये यह दण्ड नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भेषज तथा शृंगार अधिनियम, १९४०, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार का उद्देश्य तो ठीक ही होता है परन्तु देखना यह है कि इस विधेयक को कार्यान्वित कैसे किया जाता है।

देशीय औषधियां चूंकि सस्ती हैं इसलिये आम लोग इन्हीं से लाभ उठाते हैं। आधुनिक औषधियों का लाभ उठाने वाल कुछ समृद्ध लोग ही हैं। वह समय दूर नहीं है जबकि सरकार को एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना चालू करनी पड़ेगी जिस का उपयोग गरीब जनता कर सकेगी।

मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव दूंगा कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण के लिये एक माडल कारखाना स्थापित किया जाय। इसका प्रयोजन प्रतिस्पर्धा नहीं वरन् औषधियों के निर्माण में देश का मार्ग दर्शन करना ही होना चाहिये। इस कारखाने में कुछ अवधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी हो ताकि लोग वहां आकर औषधियों के निर्माण के सिलसिले में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

सरकार की नीति बोर्ड आदि में बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करने की है जिनके लिये उन बोर्डों के लिये समय निकालना भी कठिन होता है। जिस बोर्ड के गठन का उपबन्ध

इस विधेयक में है उस में भी बड़े बड़े पदाधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह उपयोगी काम नहीं कर सकेंगे। इस लिये इस बोर्ड के गठन के बारे में उचित रूप भेद किये जाने चाहिये।

प्राय: यह देखने में आता है कि आप के इन्स्पैक्टर ही अपमिश्रण में सहयोगी सिद्ध होते हैं। मैं चाहता हूं कि इंस्पैक्टरों के अर्हतायें सावधानीपूर्वक इस विधेयक में निर्धारित की जायें और उन को सावधानी से नियुक्त किया जाये। उन को, अधिक शक्तियां प्रदान की जाये। यदि मेरे सुझावों को मान लिया जाय तभी यह इंस्पैक्टर कोई उपयोगी काम इस क्षेत्र में कर सकेंगे।

खंड १५ का संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि इस में कोई त्रुटि न रहे।

इस उद्देश्य से इस विधेयक में एक विशेष उपबंध होना चाहिये कि इसके वर्तमान उपबंधों के कारण हकीमों तथा वैद्यों की प्रयोगात्मक एवं अनुसंधानात्मक क्षमताओं में कोई बाधा नहीं आने दी जायगी।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० उ० मिश्र (जमशेदपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चूंकि नकली एवं निम्न स्तर की औषधियों से इतनी हानि नहीं होती है जितनी कि औषधियों के दुरुपयोग से इसलिये मैं समझता हूं कि औषधियों के उचित उपयोग के बारे में भी इस विधेयक में उपबंध होना चाहिये। सलफा, एन्टी बायोटिक्स आदि औषधियों के प्रयोग से काफी हानि लोगों को पचहुंती है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि औषधियों के बेचने वालो के लिये कुछ परिक्षण होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि निर्माता एक नक्ली या निम्न स्तर की औषधि भेजें और फिर व्यापारी उसके लिये उत्तरदायी हो। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। औषधियों को स्टोर करने के बारे में भी एक स्तर निर्धारित होना चाहिए।

मैं श्री शर्मा से सहमत नहीं हूं कि प्रस्तावित बोर्ड में उच्च पदाधिकारी नहीं होने चाहिए। बोर्ड में वही लोग होने चाहिए चूंकि यह बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड होगा।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड--उत्तर): इस विधेयक द्वारा मूल अधिनियम की धारा १९ को हटाया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य नकली और निम्न स्तर की औषधियों के निर्माताओं और उनको बचने वालों पर प्रतिबंध लगाना है। इससे पहले जो भेषज अधिनियम है उसकी सीमा में आयर्वेदिक एवं युनानी औषधियां नहीं आती थीं। मूल अधिनियम में कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं जिनके कारण नकली और निम्न स्तर की औषधियां बेचने वाला दण्ड से बच सकता है परन्तु इस संशोधन विधेयक के पारित होने पर वह दण्ड से नहीं बच सकेगा। औषधि शब्द की परिभाषा भी कर दी गयी है। आयुर्वेद को इस विधेयक के अन्तर्गत लाने से प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता चूंकि एक तो आयुर्वेद की भेषज और शृंगार वस्तुओं का अलग अलग तरीके से निर्माण होता है और दूसरे ऐसी अनुसंधान संस्थाओं की कमी है जहां इन भेषजी का परीक्षण किया जा सके। और इन कारणों से आयुर्वेद की औषधियों पर वह प्रतिबंध नहीं लगाये जा सकते जो एलोपैथिक औषधियों पर लगे हुए हैं। इस के अन्य कारण यह भी हैं कि इन भेषजों का निरीक्षण करने के लिये न तो कोई आयर्वेदिक परिषद है और न ही योग्यता प्राप्त परीक्षक। आयुर्वेद की भेषजों के निर्माण तथा विक्रय पर कुछ आंशिक प्रतिबन्ध लगाने के लिये उस विधेयक में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। अच्छा तो यह होता कि इसके लिये एक अलग विधेयक लाया जाता परन्तु इस समय यही उपबंध पर्याप्त है।

[डा० सरोजिनी महिषी]

विधेयक की अनसूचि में आयर्वेदिक पद्धति से संबंधित उच्च स्तर की जिन पुस्तकों का उल्लेख है उन में और भी कई पुस्तकें सम्मिलित की जा सकती हैं ।

अब मैं इन प्रतिबंधों की क्रियान्विति की ओर आती हूं । इन प्रतिबंधों का तात्पर्य यह है कि लोगों को अच्छी किस्म की औषधियां और श्रंग वस्तुए मिलें । जहां तक आयुर्वेदिक भेषजों के निर्माण में सफाई बरतने का संबंध है हम भेषज तथा श्रृंगार वस्तु नियम की अनुसूची एम के कुछ भागों को लागू करने का विचार है ।

माननीय मंत्री के कथानसार यद्यपि आयुर्वेदिक भेषज आयोग पर १० करोड़ रुपया लगाया जाता है फिर भी यह प्रारम्भिक अवस्था में है और नकली तथा निम्न स्तर की आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण पर एलोपथी की अपेक्षा बहुत ही कम प्रतिबंध हैं ।

इस सम्बंध में संयुक्त समिति ने बहुत सराहनीय काम किया है । प्रस्तावित धारा १७ ख तथा ९ ख में यह उद्देश्य समक्ष रखा गया है कि नकली और मिलावटी औषधियां बनाने या बेचने वाला कोई भी व्यक्ति दण्ड पाये बिना न रहे। चूंकि देखा गया है कि मूल अधिनियम में विद्यमान कमियों का लाभ उठा कर बहुत से लोग देश की अनपढ़ और अन्जान जनता को लूटते हैं । इन कमियों को दूर करना और जनता को अच्छी किस्म की भेषजों तथा श्रृंगार वस्तुओं को उपलब्ध कराना इस विधेयक का लक्ष्य है ।

मैं नये परिवर्तनों का स्वागत करती हूं ।

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह देश का स्वास्थ सुधारने में काफी सहायक सिद्ध होगा । नकली दवाइयों का निर्माण और उसकी बिक्री रोकने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इससे आयुर्वेदिक तथा युनानी दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर कुछ पाबन्दी लगायी जायेगी ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई]

[Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*]

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रस्तावित धारा ५ में उल्लिखित बोर्ड में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं । जब इंडियन मेडिकल असोसियेशन और इंडियन फार्मास्युटिकल असोसियेशन का एक एक प्रतिनिधि उस बोर्ड में है तब इस बात के लिए कोई कारण नहीं है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का प्रतिनिधि इस बोर्ड में क्यों न हो ।

खंड ८ में जो औषधियों के अपमिश्रण के संबंध में है एक त्रुटि है । कभी कभी लाइसेंस शदा औषधालय भी दवाइयों को ठीक ढंग से नहीं रख पाती । खंड ८ के अनूसार हानिकारक और नकली दवाइयों को रखना भी जुर्म बनाया गया है । लेकिन इस खंड ८ की व्यवस्था के आधार पर कोई भी यह कह कर बच निकल सकता है कि इन दवाइयों का विश्लेषण प्राकृतिक था । इससे तो सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा । औषधियों के विश्लेषण संबंधी कठिनाइयां दूर करने के लिए कुछ रोक लगायी जानी चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Deputy Speaker *in the Chair*]

जहां तक खंड १८ का संबंध है, दंड सम्बंधी उपबंध आपत्तिजनक है। उसमें प्राकृतिक सामान्य न्याय भी नहीं दिया गया है। मुझे दस वर्ष के अधिकतम दंड के बारे में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन न्युनतम दड के बारे में अवश्य आपत्ति है। विधेयक में न्युनतम दंड कभी उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार के उपबंध से न्यायपालिका के अधिकार संकुचित हो जाते हैं। इस मामले में न्यायालयों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना मेरी राय में स्वस्थ परम्परा नहीं है।

युनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है क्योंकि उनसे ८० प्रतिशत जनता की आवश्यकताएं पूरी होती हैं लेकिन अब हम इन प्रणालियों पर कुछ निर्बन्धन लगाने जा रहेहैं। ये निर्बन्धन प्रस्तावित धारा ३३ घ में दिये हुए हैं। इन पाबन्दियों के कारण उन औषधियों पर गहरा असर पड़ेगा जो पुस्तेनी नुस्खों के अनुसार आयर्वेदिक या युनानी विशषज्ञों द्वारा बनायी जाती हैं। यदि उन विशेषज्ञों के लिए कोई योग्यता निर्धारित की जाती है तो कुछ औषधियों का निर्माण बन्द पड़ जायेगा। इससे आयर्वेदिक और युनानी प्रणालियों का विकास रुक जायगा। इसमें भी एक त्रुटि है और वह यह है कि निर्माण यह कह सकता है कि उसने औषधि परीक्षण के लिए तैयार की। थोड़ी मात्रा निर्धारित करना बहुत कठिन है।

खण्ड ३३० के अधीन निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में यह अधिक अच्छा होता कि 'वित्तीय' शब्द उस खंड से निकाल दिया जाता ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका औषधि बेचने वाली या तैयार करने वाली फर्म के किसी भी प्रकार का हित हो, निरीक्षक के तौर पर नियुक्त न किया जा सके। आज प्रयोगशालाएं और अनुसन्धानशालाएं नहीं हैं, और जब तक कि इस प्रकार की आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जातीं तब तक इस प्रकार के निर्बन्धन लागू करना इन प्रणालियों के विकास में बाधक होगा।

Shri Gauri Shankar Kakkar(Fatehpur): Adulteration is found in every commodity and it is increasing everyday. The various steps taken by the Government of India and the State Government to check it have proved inadequate and ineffective. Government have failed to check adulteration in food stuffs although a law has been passed for that purpose. In order to maintain the purity of foodstuffs, the Government of India have not enacted any law which could be uniformly applied for the entire country. It is doubtful whether they would be able to check adulteration by passing the present measure.

Government are giving a step-motherly treatment to the indigenous System of Medicine although 80 per cent of the people depend on it. In such condition, it is not fair to place restriction on it. It is the duty of the Government to promote that system first through research, training etc. and then to think of regulating the manufacture of these drugs etc.

The punishment for adulteration of drugs should be deterrent. Unfortunately, our experience has been that the laws in that regard are not being enforced effectively, besides, there were loopholes in the law which allowed the culprits to go scot free.

It is not known what was the necessity for having a Board. If certificates are issued for the manufacture of Ayurvedic and Unani Medicines, it would not be necessary to constitute the Board or to appoint Inspectors. It has often been seen that Inspectors become instrumental for corruption and thus help in adulteration. There is no provision in the Bill as to what specific information and knowledge Inspectors must possess in regard to drugs and medicines.

I fail to understand why the word 'Cosmetics' has been added to the nomenclature of this Bill and how the inclusion of this word fulfills the inten-

[Shri Gauri Shankar Kakkar]

tion of the Government in bringing this amendment. It is a mockery to add this word. On the other hand, no effort is being made to see that Ayurvedic and Yunani Medicines are prepared unadulterated. I am afraid this law would deprive a large number of Vaidya and Hakims of the various facilities for preparing medicines and would create hurdles for them.

डा० च० भा० सिंह (बिलासपुर): यह विधेयक स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा साहसी कदम है। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के संबंध में सबसे भंयकर समस्या यह है कि आयुर्वेद या यूनानी की कोई भी उच्च स्तर की औषधि संहिता नहीं है। इसके न होने से औषधियों की जांच करना या उनकी जांच करने वाले निरीक्षकों का चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है। एलोपैथिक औषधियों और कास्मेटिकस के संबंध में तो यह ठीक हो सकता है क्योंकि उनके रासायनिक या भौतिक गुण आदि की स्पष्ट परिभाषा की गयी है। फिर उसके लिए सभी प्रकार की पुस्तकें शामिल की गयी हैं। और उनसे पता चलता है कि इस विधान के विधायकों को स्तर के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं था। उनमें से अधिकतर पुस्तकें अपने नुसखों में एक दूसरे से अलग हैं। उनमें नाम एक ही दिये गये हैं लेकिन नुस्खे अलग हैं, परिमाण अलग हैं और गुण अलग हैं। यही समस्या की मुख्य जड़ है।

दूसरी बात यह है कि कोई स्तर निर्धारित नहीं किये गये हैं। अनुसूचि में कहा गया है "ऐसा स्तर जो निर्धारित किया जाय।" निर्धारित स्तर निश्चित न किये जाने पर निरीक्षक क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। इसके अलावा ऐसी प्रयोग शालाएं नहीं हैं जहां इन औषधियों की जांच हो सके। ऐसी स्थिति में सरकार परीक्षण और जांच का काम कैसे करायेगी? यह भी एक बड़ी समस्या है।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि अनेक आयुर्वेदिक और सिद्ध तथा तिबिया औषिधियां अनेक वर्गों में बांटी जा सकती हैं जैसे बहूमूल्य धातू, भारी और हल्की जड़ियां, रस आदि। उसके बाद उनकी जांच का काम राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को, केन्द्रीय औषध अनुसंधान शाला, लखनऊ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद दिल्ली, तथा देश के मेडिकल कालेजों में औषध विज्ञान के विभागों को सौंप दिया जाय। यह एक कठिन समस्या है लेकिन यदि काम इस तरह बाँट दिया जाय तो अच्छी तरह हो सकता है ताकि वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना और भारतीय औषध संहिता में उसको संकलित करना संभव हो सके। यदि ये औषधियां सस्ती तथा अधिक प्रभावशाली हों तो औषधालय भी उनका प्रयोग कर सकते हैं।

मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन जिन औषधियों के लिए कोई प्रभात निश्चित नहीं उन्हें वर्जित किया जाना चाहिये अन्यथा काफी कठिनाइयां उपस्थित होंगी।

ऐसे विधेयक जब प्रस्तुत किये जाते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि हम उनका समर्थन करें। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है मैं इसे ठीक नहीं समझता। मेरी राय में एक उचित कार्यक्रम होना चाहिये जिसके अन्तर्गत इन प्रणालियों को सुसंगठित किया जाये और तभी यह विधेयक पूर्ण हो सकता है। मेरी प्रार्थना है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, वे कार्यान्वित किये जाये; और तभी आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों को एक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सकेगा।

श्री अ० त्रि० शर्मा (छत्तरपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि आयुर्वेदिक प्रणाली के संबंध में शीघ्र ही एक अलग विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

यह विधेयक आरम्भ में तीन उद्देश्यों से प्रस्तुत किया गया था; एक तो आयुर्वेदिक औषधियों पर नियंत्रण रखना, दूसरा अपमिश्रित औषधियों को वर्तमान अधिनियम के अधीन लाना और तीसरा, दण्ड बढ़ाना । नियंत्रण के संबंध में सभी सदस्य इस बात से सहमत है कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों पर नियंत्रण होना चाहिये । नियंत्रण किस प्रकार लागू किया जाये यही समस्या है क्योंकि आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक स्वत: ही दवाइयां तैयार करते हैं और वे फर्मों पर निर्भर नहीं रहते जैसे कि एलोपैथिक डाक्टर निर्भर रहते हैं । यदि यह विधेयक कानून बना दिया जाय तो सभी औषध निर्माता इस के अन्तर्गत आ जायेंगे । इसीलिए प्रवर समिति ने सर्वसम्मति से यह राय जाहिर की थी कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के नियंत्रण के लिए एक अलग अधिनियम होना चाहिये । मुझे इस अस्थायी व्यवस्था से संतोष नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक तथा यूनानी तकनीकी मंत्रणा बोर्ड का गठन संतोषजनक नहीं है । इस बोर्ड में १५ सदस्य हैं जिनमें से ९ गैर आयुर्वेदिक व्यक्ति हैं । इसमें सभी लोग नाम निर्देशन व्यक्ति हैं और कोई भी निर्वाचित नहीं है । इसमें किसी प्रसिद्ध फर्म या संस्था के कोई प्रतिनिधि नहीं है । बोर्ड स्वत: नामनिर्देशित बोर्ड है । इसमें केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद के दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे । यह कहा जाता है कि यह आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद आयर्वेद की उन्नति के लिए बनायी गयी है । लेकिन यह बिल्कुल ही आयुर्वेदिक परिषद नहीं है क्योंकि इसके १३ सदस्यों में से ६ न तो डाक्टर हैं और न तो आयुर्वेदिक हैं । हमारे यहां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस तथा अखिल भारतीय तिब्बिया कांग्रेस, ऐसी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं लेकिन इनका एक भी प्रतिनिध इस बोर्ड में नहीं लिया गया है । मुझे इस तकनीकी मंत्रणा बोर्ड में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी तकनीकी सलाहकार नहीं है । इसलिए इस तरह का बोर्ड संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर सकता ।

आगे वैद्यों को यह रियायत दी गयी है कि जो वैद्य या हकीम अपने रोगियों के लिए दवाइयां तैयार करते हैं उन पर यह विधेयक लागू नहीं किया जायगा । वास्तव में यह कोई रियायत नहीं है क्योंकि कोई वैद्य या हकीम सिर्फ अपने ही रोगियों के लिए दवाइयां तैयार नहीं करता । कभी कभी वे दवाइयां दूसरे भी बेचते हैं । फिर वह यह नहीं साबित कर सकता कि उसने सिर्फ अपने रोगियों के लिए ही दवाइयां तैयार की थी । इस परन्तुक के होते हुए भी निरीक्षक सभी वैद्यों को पकड़ सकते हैं और उन्हें सजा दी जा सकती है । इसलिए इस रियायत से कोई लाभ नहीं है ।

उपसमिति ने आदेश दिया था कि आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धतियों के विवेचन के लिए एक अलग अध्याय होना चाहिये और कोई भी वर्तमान नियम उन पर लागू न किया जाये लेकिन इस अध्याय ४ क में धारा २२ से २५ आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों पर भी लागू की गयी हैं । सफाई विषयक उपबन्ध आयुर्वेदिक औषधियों के अत्यन्त हानिकारक हैं । हमारी राय में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के लिए विशेष नियम बनाये जाने चाहिये । यह अधिनियम आयुर्वेद विज्ञान की उन्नति के लिए है, उसे नष्ट करने के लिए नहीं । यदि सफाई के नाम पर आप सभी वैद्यों को जेल भेजते हैं तो यह उस विज्ञान के लिए अत्यन्त हानिकारक है । इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये

[श्री अ० त्रि० शर्मा]

कि जिस विधेयक का उद्देश्य आयुर्वेद की उन्नति करना है, उसी से उसका नाश न किया जाये ।

अन्त में माननीय उपमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के नियंत्रण के लिए एक विशेष विधेयक प्रस्तुत किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Rameshwaranand (Karnal): I welcome this Bill so far as it seeks to ensure the availability of pure medicines. But the success of the measures that would be taken under this Bill is very doubtful. The purpose would not be achieved by merely entrusting the work to the Inspectors, you will have to make some changes in education. You know how much honest these inspectors are, and so unless honesty is inculcated in people through education, it would not serve any purpose.

I am very much doubtful about the efficacy of this Board Constituted by you because it consists of those people who have no faith in Ayurved c. It should wholly consist of Vaidyas their representatives. It is regrettable that Government have been ignoring Vaidyas and are not giving them the same encouragement and facilities as are being given to allopathic doctors.

The restrictions sought to be imposed on the manufacture of Ayurvedic drugs may prove very harmful to Vaidyas in villages who have been practising there for generations. Due to such restrictions, villages would be deprived of the services of such Vaidyas. Even now medical facilities in villages are very scarce and these restrictions would make them more scarce. Thus in the absence of other medical facilities in the rural areas, it would cause considerable hardship to them.

Ayurveda is a very important system of medicine in our country and it should be given all encouragement by the Government. Ayurvedic medicines were best suited for the climatic and other conditions in our country. In order to maintain the purity of Ayurvedic drugs traditional Ayurvedists should be given proper encouragement and incentive and be made responsible for keeping up the purity of Ayurvedic drugs.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Government should tell this House the reasons which prompt the Government to bring these amendment Bills enhancing the punishment before this House. The Government wants to enhance the punishment by this amending Bill, but at the same time the courts have been empowered to reduce the minimum punishment in suitable cases, which is not a wholesome provision in my opinion. There are many loopholes in this Bill and the guilty man can easily escape from the clutches of the law.

It is very distressing to note that the people of this country cannot get pure meals inspite of so many enactments in this regard. It is the paramount duty of the Health Ministry to make available unadultered food to our countrymen.

The Government cannot achieve its object by merely providing for the appointment of inspectors under this Bill. There is no mention of their powers and how they are going to utilise them. It is a welcome feature that uniform

rules will apply to medicines manufactured in private or public sector. But there is a loophole in the Bill as to who is to be held responsible for not making the medicine according to prescription and consequently liable for punishment.

I am not happy about the constitution of the allopathic and Ayurvedic Boards. The Allopathic Board shall consist of my allpathic doctors and the Ayurvedic doctors have not been given any place on that Board, whereas the Ayurvedic Board shall consist of Aliopathic doctors from top to bottom. I do not understand how allopathic doctors who know nothing about Ayurveda will be able to advise the Government regarding the Ayurvedic Medicines. Like the I.A.S. and I.C.S. people the Government consider the Allopathic doctors quite competent for advising them regarding Ayurveda and Unani systems of medicine. There is also a Drugs Consultative Committee to advise the Government in these matters. There is no necessity for all these boards when there is the Director of the Medical Health Institute who acts as an adviser to the Government. Advisory Committees can do much better work than these big boards which meet hardly twice or thrice in a year. The Act should be simple and capable of easy implementation and should not be a combersome one like the present Bill.

The present Bill will also cause hardship to the *hakims* and *Vaids* in the rural areas, as they cannot maintain register for every patient. The Bill should be further amended keeping in view the points that I have urged.

श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : देशी दवाइयां हमारे साधु महात्माओं की देन हैं परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में देशी दवाइयों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया और अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल एक फैशन बन गया । देशी दवाइयां अंग्रेज़ी दवाइयों से कम अच्छी नहीं हैं । हमारी सरकार भी देशी दवाइयों की अपेक्षा अंग्रेज़ी दवाइयों को ही प्रोत्साहन दे रही है और देशी दवाइयों के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं रख रही है । इसका परिणाम यह हुआ है कि हर एक व्यक्ति वैद्य बन बैठा है । तमिलनाड में सिद्ध प्रणाली बहुत लोक प्रिय है परन्तु यह खेद का विषय है कि कुछ वैद्य व्यापारिक आधार पर यह कार्य कर रहे हैं और लोगों को गलत उपचार दिया जा रहा है । यदि भारतीय दवाइयों के निर्माण पर उचित नियंत्रण रखा जाये और उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाये तो वे दवाइयां अन्य दवाइयों से किसी प्रकार भी कम अच्छी सिद्ध नहीं होंगी । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस विधेयक द्वारा उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने जा रही है ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी विशेषज्ञों के साथ साथ सिद्ध पद्धति के विशेषज्ञ को भी आयुर्वेदिक तथा यूनानी बोर्ड पर स्थान दिया जाना चाहिये । निरीक्षकों की नियुक्ति का स्वागत है परन्तु उनको अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें ताकि वे भोले भाले व्यक्तियों को तंग न कर सकें । जब तक दवाइयों का प्रयोगशाला में परीक्षण न किया जाये तब तक उनके निर्माण के लिये लाइसेंस न दिया जाये । आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये । होम्योपैथी को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ताकि उस पद्धति में व्याप्त बुराइयों को भी दूर किया जा सके । होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार को होम्योपैथिक कालेज भी खोलने चाहियें ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : संयुक्त समिति को होम्योपैथी को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना चाहिये था । यह पद्धति भी देश में काफी लोकप्रिय है और दवाइयां भी सस्ती और गुणकारी हैं । इस पद्धति में भी काफी बुराइयां विद्यमान हैं । इसलिए संयुक्त समिति ने इसे प्रस्तावित विधेयक में सम्मिलित न करके गलत कदम उठाया है । इस विधेयक में किये गये कड़े उपबन्धों से तभी लाभ पहुंच सकता है जब इस विधेयक के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षक अपने कर्त्तव्य का सचाई से तथा समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए पालन करें । उनकी नियुक्ति करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये । यह कहा गया है कि प्रस्तावित नई धारा २७ द्वारा न्यायालय के स्वविवेक को छीना जा रहा है । मेरी राय में यह कहना उचित नहीं है क्योंकि नकली दवाइयों के बाजार के गर्म होने के कारण कम सजा से समाजविरोधी तत्वों का दमन नहीं किया जा सकता है । मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं उन सब माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है । श्री दी० चं० शर्मा का यह सुझाव विचार करने योग्य है कि सरकारी क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोगात्मक रूप में निर्माण प्रारम्भ किया जाये । धारा १५ का उद्देश्य ईमानदार लोगों को संरक्षण देना है । इस अधिनियम की कार्यान्विति औषध निरीक्षकों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है । अतः औषध निरीक्षकों की सेवा की शर्तों में काफी सुधार किया जा रहा है । उन्हें अपने कार्य के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की १२२ की संख्या की तुलना में अब औषध निरीक्षकों की संख्या १५० हो गई है । राज्य सरकारों पर भी उनके वेतन बढ़ाने के लिये जोर दिया गया है ताकि वे अपना कार्य अधिक ईमानदारी तथा कार्यकुशलता से कर सकें । हालांकि कलकत्ता तथा लखनऊ में दो राष्ट्रीय प्रयोगशालायें हैं और राज्यों में भी ११ प्रयोगशालायें अच्छा कार्य कर रही हैं फिर भी यह संख्या पर्याप्त नहीं है । कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का आधुनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं में आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है परन्तु हम इन सुविधाओं में और अधिक वृद्धि कां करना चाहते हैं । मद्रास, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने औषध प्राविधिक परामर्शदात्री बोर्ड (ड्रग्स टैकनिकल एडवाइज़री बोर्ड) की उपयोगिता के बारे में आपत्ति की है । वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक अच्छा बोर्ड नहीं बनाया जा सकता था । यह बोर्ड आयुर्वेदिक औषधियों से सम्बंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देगा । उसमें आयुर्वेद से सम्बन्धित सभी हितों को स्थान दिया गया है । यदि बाद में उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होगी तो वैसा कर दिया जायेगा । इस विधेयक द्वारा न्यायपालिका के अधिकारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अन्य कई अधिनियमों में भी न्यूनतम सजा का उपबन्ध है । फिर भी न्यायालय को वह सजा कम करने का अधिकार है परन्तु उसे लिखित रूप में ऐसा करने के कारण बताने होंगे ।

होम्योपैथी पर एक अलग विधेयक लाया जा रहा है । इस बारे में गत मार्च में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी ।

हम जो भी उपाय कर रहे हैं वे देशवासियों के स्वास्थ्य को दृष्टि में रख कर कर रहे हैं। हमें लोक-स्वास्थ्य के साथ-साथ औषधि उद्योग को भी ध्यान में रखना है। यदि उद्योग को किसी प्रकार की हानि होती है तो जनता को भी भारी नुक्सान उठाना पड़ता है। ये संस्थायें आपस में एक-दूसरे पर निर्भर हैं अतः इनको प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इसीलिए ये सारे उपाय किये गये हैं। यदि औषधियों में मिलावट हो, डाक्टर ठीक तरीके से काम न करें और रोगों का निदान ठीक न हो पाये तो सारी पद्धति बुरी कही जाती है और सम्पूर्ण जनता को हानि उठानी पड़ती है। अतः मझे पूर्ण आशा है कि विधेयक में प्रस्तावित उपायों से स्थिति में काफी हद तक सुधार हो सकेगा। यह सच है कि आयुर्वेद एक उच्च विज्ञान है। किन्तु समय के साथ साथ इसका काफी ह्रास हो चुका है। अतः हमारा यह पावन कर्तव्य है कि हम इसे उन्नत बनाकर ऊंचे स्तर पर रखें।

यदि हम यह मान लें कि आयर्वेदीय पद्धति की आधुनिक चिकित्सा पद्धति से तुलना की जा सकती है तो यह एक अनुचित बात होगी। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति संसार भर में विद्यमान है। इस दिशा में पर्याप्त अनुसन्धान किया जा रहा है और नई खोज आदि के बारे में संचार के साधनों द्वारा संसार भर को बताया जाता है। आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति का स्थान ग्रहण करने में अभी समय लगेगा। आयुर्वेदीय तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में कुछ अन्तर्भूत गुण हैं जिनके बल पर ये पद्धतियां इतनी प्राचीन होने के बावजूद भी आज विद्यमान हैं।

जहां तक दंड की व्यवस्था का सम्बन्ध है, देश की जनता तथा दोनों सभाओं द्वारा इस बात की मांग की गई थी कि दंड को बढ़ाया जाये। इसलिए माननीय सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिए कि देश में सारी बुराई भरी है। देश में इस समय आधुनिक चिकित्सा सम्बन्धी औषधि के १७५० और यूनानी और आयुर्वेदीय चिकित्सा सम्बन्धी औषधि के लगभग २०० से ३०० तक लाइसेंस प्राप्त निर्माता इन औषधियों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश निर्माता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किन्तु अभी हाल में किये गये सर्वेक्षण से यह पता चला कि लगभग ३० बिना लाइसेंस प्राप्त निर्माता नकली औषधियां बना रहे हैं। ये दूसरे निर्माताओं के लेबल लगा कर अपनी औषधियां बाजार में बेचते हैं। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से इस बुराई को दूर करना अनिवार्य है। इसीलिए हम ने विधेयक में दंड की व्यवस्था की है।

मुझे आशा है इस विधेयक से काफी हद तक बुराइयां दूर हो सकेंगी और लोगों को लाभ पहुंच सकेगा।

श्री मोहसिन (धारवाड़–दक्षिण): औषधियों में अपमिश्रण के मामले जब भी सभा में उठाये गये, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह कह कर टाल दिया कि औषधि नियंत्रकों और निरीक्षकों पर केन्द्र का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे औषधि नियंत्रकों और निरीक्षकों पर केन्द्र नियंत्रण रख सके और प्रस्तुत विधेयक को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके ?

डा० द० स० राजू : वास्तव में विधेयक अधिनियम बन जाने पर राज्यों द्वारा ही क्रियान्वित किया जायेगा। किन्तु केन्द्र सरकार को अधिकार होगा कि वह अपने निरीक्षक भी नियुक्त कर सकती है और वे निरीक्षक राज्यों के निरीक्षकों के साथ निरीक्षण कर सकेंगे।

श्रीमती रेणुका बड्डकटकी (बारपेटा) : सरकार होम्योपैथी के बारे में विधेयक कब ला रही है ?

डा० द० स० राजू : हम यथाशीघ्र विधेयक लाने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या इसी महिने के विशेष सत्र में ?

डा० द० स० राजू: मैं निश्चित समय के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। किन्तु हमारा विचार यथाशीघ्र लाने का है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भेषज तथा शृंगार-सामग्री अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों पर विचार करेंगे। खंडों में कोई संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ३२ विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड २ से ३२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 32 were added to the Bill.

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

डा० द० स० राजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

यह विधेयक रेलवे के टिकटों, विशेष रूप से आरक्षित स्थानों के लिए खरीदे जाने वाले टिकटों, में चोरबाजारी को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग चालबाजी करके, विशेष रूप से भीड़ के दिनों में, टिकट खरीद लेते हैं तथा गाड़ी में स्थान आरक्षित करा लेते हैं। बाद में स्थिति का लाभ उठा कर इन टिकटों को चोरबाजार में बेचते हैं। इन दिनों यात्रा करने के इच्छुक लोगों की आवश्यकता के अनुसार गाड़ियों में स्थान उपलब्ध हो पाना कठिन है। अत: इन लोगों को बड़ी सीबत मुउठानी पड़ती है।

रेलवे प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार तथा समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के अनेक कदम उठाये गये हैं। टिकटों की चोरबाजारी करने वालों को भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत दंड के रूप में जुर्माना किया गया है। किन्तु चोरबाजारी को रोकने के लिये जुर्माना ही काफी नहीं है। भारतीय रेलवे अधिनियम में एक सब से बड़ी कमी यह रह गई है कि इसमें रेलवे के यात्रा टिकटों के हस्तांतरण को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिनियम में संशोधन करने की बात वर्ष १९४९ में सोची गई थी किन्तु प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर इस पर आगे कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

प्रस्तुत विधेयक में केवल आरक्षित टिकटों को हस्तांतरित करने से रोकने की व्यवस्था की गई है क्योंकि साधारण टिकट के हस्तांतरण पर रोक लगाने से जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस समय अधिनियम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे अनधिकृत रूप से टिकट बेचने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा सके। प्रस्तुत विधेयक में इस कमी को दूर करने के लिए व्यवस्था की गई है।

ये विधेयक की मोटी मोटी बातें हैं। मुझे विश्वास है कि ये बातें विवादरहित हैं। अत: विधेयक को सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): यह अच्छी बात है कि रेल के टिकटों की चोरबाजारी को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इससे कुछ चोरबाजारी करने वालों को अवश्य दंडित किया जा सकता है किन्तु माननीय मंत्री का यह सोचना निराधार है कि कुछ चोरबाजारी करने वालों को दंड देने से समस्या हल हो जायेगी।

सरकार वास्तव में यदि समस्या को हल करना चाहती है तो उसे समस्या के मूल कारण को जानना होगा। समस्या का मूल कारण है रेलगाड़ियों की कमी। वर्तमान रेलगाड़ियां यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या की मांग को पूरा नहीं कर सकती हैं। यह ठीक है कि रेलगाड़ियों की संख्या एकदम नहीं बढ़ाई जा सकती। इसमें कुछ समय लगेगा। किन्तु सरकार को समस्या की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूर स्थानों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की तृतीय श्रेणी में सोने के डिब्बों की संख्या अधिक होनी चाहिए जिससे यात्रियों की परेशानी काफी हद तक कम हो सकेगी।

टिकटों के हस्तांतरण पर रोक लगाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति टिकट खरीद कर आसानी से दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। यह पता लगाना मुश्किल है कि

[श्री नम्बियार]

टिकट का वास्तविक मालिक कौन है। टिकटधारी उसी नाम से यात्रा कर सकता है जो नाम आरक्षण टिकट में दिया होगा।

टिकट बेचने वाले तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों को चोरबाजार में टिकट बेचने का उत्तरदाय ठहराना उचित नहीं है। अधिकांश मामलों में इन कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े आदमियों द्वारा झूठी शिकायतें की जाती हैं जिससे उन्हें बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि नियम १४८ अथवा १४९ के अन्तर्गत कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया जाता है। सरकार को कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए। न्यायालय से इन कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय होने पर इन्हें पूरा वेतन तथा प्रतिकर दिया जाना चाहिए जिससे ये ईमानदारी से काम कर सकें।

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : प्रस्तुत विधेयक एक सराहनीय कदम है। मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनके बारे में खंडवार चर्चा के समय कुछ कहूंगा। यह टिकटों की चोर-बाजारी को रोकने के लिए अच्छा उपाय है किन्तु मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण की कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। सबसे मुख्य बात यह है कि यह जानना अत्यन्त कठिन है कि टिकट खरीदने वाला वास्तविक यात्री कौन है क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे प्रशासन कुरीतियों को दूर करने के लिए उचित उपाय नहीं कर सका। जो व्यवस्था आज की जा रही है उसका सुझाव बहुत पहिले दिया गया था जिसे प्रवर समिति ने अस्वीकार कर दिया था। अतः इसे फिर सभा में लाने का कोई औचित्य नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अभिकरण को टिकट बेचने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए इससे कुरीतियों में वृद्धि होगी।

इस विधेयक से वास्तविक अपराधी तो कानून की पकड़ से बच जायेंगे और भोले भाले लोग जिन्हें नियमों का पता नहीं है कानून की पकड़ में आकर परेशानी में पड़ जायेंगे।

टिकटों के हस्तांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें तो विधेयक के उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

श्री च० क० भट्टाचार्य (रायगंज) : रेलवे अधिनियम, १८९० में पारित किया गया था। आज लोगों में कुछ नैतिक गिरावट आ गई है। यह ठीक ही है कि इस गिरावट को दूर करने के लिये माननीय मंत्री इस नये विधेयक को ला रहे हैं। टिकट देने के तरीके पर भी विचार किया जाना चाहिये। मैंने पिछले महीने की २९ तारीख को दो टायर स्लीपिंग कोच में तीसरे दर्जे का टिकट खरीदने के लिये दिल्ली रेलवे स्टेशन को टेलीफोन किया तो उत्तर मिला कि ९ मई तक सब सीटें बुक हो चुकी हैं। दूसरे दिन पार्लियामेंट रेलवे बुकिंग हाऊस से मुझे एक टिकट मिला। रेल में एक व्यापारी महोदय ने मुझे बताया कि आप तीसरी श्रेणी के टिकट खरीद लीजिए। मैंने ऐसा ही किया। जब अगले स्टेशन वाईहाती पर रुकी तो मैंने टिकट कलक्टर को बुला कर तीसरी श्रेणी के टिकटों को प्रथम श्रेणी में बदलवा लिया। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार की घटनायें हो

टिकटों की गड़बड़ी के प्रश्न का समाधान उसके प्रारम्भिक स्तर पर ही हल किया जाना

चाहिये। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस संशोधन से ही संतोष धारण कर न बैठ जायें ; उन्हें इसकी विभागीय जांच भी करनी चाहिये।

श्री उ० म० त्रिवेदी (मंदसौर) : कांग्रेस और साम्यवादी सदस्यों ने अपने निजी प्रचार के लिये रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है। हम इस बात से आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं कि अब भी रेलवे में बेईमानी है। उसमें भ्रष्टाचार भी है। यह किन स्तरों पर है---यह पृथक विषय है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

[SHRI THIRUMAL RAO *in the Chair.*]

आप बम्बई स्टेशन पर जाइये। वहां आपको एक व्यक्ति मिस्टर बटाला मिलेगा। वह आप के लिये सीट रिजर्व करा सकता है। वहां कुछ बाहर के लोग भी हैं जो खलासी कहलाते हैं। वे अपनी चटाइयां, दरियां अथवा कारपेट वहां फैला देते हैं---केवल ५ में---और फिर रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाई को हल करने के लिये कानून पर ही अवलम्बित नहीं रहा जा सकता है। मामूली से फेरी वाले प्लेटफार्म पर लाइसेंस मिलने पर समझते हैं कि उन्हें वहां एक प्रकार का अधिकार मिल गया है। अधिकारी उन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फेरी वालों द्वारा दिये जाने वाले धोखे का भी अन्त नहीं हो पाता है इसका कारण केवल यह है कि सरकारी वकील कानून से अनभिज्ञ हैं। परिणामस्वरूप सरकार की आमदनी में नुकसान होता है। इस संशोधन में कहा गया है कि टिकटको उस व्यक्ति द्वारा नहीं बेचा जा सकता है जो रेलवे कर्मचारी अथवा अधिकृत एजेण्ट न हो। मैं अपना टिकट किसी को भी दे सकता हूं अथवा किसी भी व्यक्ति के दूसरे टिकट से इसका विनिमय कर सकता हूं। क्या इस प्रकार की बात नहीं हो सकती है। उन सब बातों का अध्ययन नहीं किया गया है और इसका कारण यह होता है कि निरर्थक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। दो टायर कंपार्टमेंट से बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। नीचे की बर्थ चार आने प्रति सीट पर उपलब्ध हो सकती है ; जबकि ऊपर की बर्थ के लिये आप तीन रुपये प्रति बर्थ ले रहे हैं। ऊपर वाले व्यक्ति को सतत् इस बात के लिये सावधान रहना पड़ता है कि नीचे उसका लगेज सुरक्षित है अथवा कम्पार्टमेंट में कौन प्रवेश करता है या बाहर जाता है। बहुधा रेलवे कर्मचारी भी अथवा उन के परिवार के सदस्य इन कम्पार्टमेंटों में सफर करते हैं। पुलिस वाले बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेलवे कर्मचारी इन पुलिसवालों से भयभीत रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले फुलेरा स्टेशन पर चार व्यक्तियों को टिकट की कीमत वसूल करने पर सब इंस्पेक्टरों ने हुक्म दिया कि टिकटचेकरों को हथकड़ी पहना दी जाय। क्या आप इन सब स्थितियों को मौजूदा उपबन्ध से समाप्त कर सकते हैं। चैकिंग स्टेशन इतनी दूरी पर नहीं होना चाहिये। यदि रेलवे इंजन तीन घंटे तक स्टीम फेंकते हुए खड़े रहें तो रेल की आमदनी कम क्यों नहीं होगी।

रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करना भी आवश्यक है। दिल्ली जंक्शन से सवेरे ९.३० बजे रवाना होने वाली गाड़ी में काफी भीड़ रहती है और काफी व्यक्ति फुटबोर्ड पर सफर करते हैं। १९५४ में रेवाड़ी-दिल्ली लाइन को दोहरा करने की योजना मंजूर की गई थी किन्तु अब तक यह काम नहीं किया गया है। सन् १८९० में रेलवे अधिनियम पारित किया गया था और आज सत्तर वर्ष बाद हम उसमें संशोधन करने की बात सोच रहे हैं।

श्री म० प० स्वामी (टंकासी) : पहले से टिकट खरीद कर मुनाफा कमाने की दृष्टि से उसे दोबारा बचाने की सामाजिक कुरीति रोकने के लिए मौजूदा कानून अत्यन्त उपयोगी है। इस प्रकार की बुराइयों की पृष्ठभूमि में जो आधार निहित हैं हमें उन की छानबीन करना चाहिये। जब कोई

[श्री म० प० स्वामी]

व्यक्ति टिकट खरीदने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे निराशा मिलती है किन्तु यही टिकट जब एजेण्टों के मार्फत खरीदे जाते हैं तो तुरन्त मिल जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के बुकिंग आफिस में सम्पर्क होते हैं और वे ही टिकट खरीद कर उन्हें पुनः बेच देते हैं। मैं नहीं समझता कि मौजूदा कानून से यह बुराई कैसे रोकी जा सकती है। यह कैसे मालूम होगा कि कौन वास्तविक मुसाफिर है। यह रेलवे तक ही सीमित नही है। वह प्रवृत्ति सिनेमाघरों में भी देखी जा सकती है। रेलों में इस प्रकार के सूचना पट्ट लगाये जाने चाहियें कि बाहर से खरीदे गये टिकट अमान्य होंगे। इस बुराई का एक कारण यह भी है कि रेलों में स्थान की कमी है। मद्रास जाने वाले व्यक्तियों को रात भर स्टेशन पर रहना पड़ता है ताकि टिकट की खिड़की खुलने पर वे लाइन में पहले खड़े हो सकें। उन्हें दस-पन्द्रह दिन पहले टिकट खरीदने पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि बम्बई-दिल्ली, बम्बई-मद्रास, मद्रास-कलकत्ता आदि नगरों के लिये अधिक सवारी डिब्बे जोड़े जायें। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि रेलवे इस वर्ष यात्री-सुविधाओं पर ४ करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इन बातों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि रेलवे कर्मचारियों और जनता में परस्पर सहयोग हो। यह सहयोग मिलने पर ही रेल प्रशासन में शांति और कुशलता का आविर्भाव हो सकता है।

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मौजूदा कानून की मंशा अच्छी है किन्तु उसमें सन्देह है कि क्या इससे सलक्ष्य पूरा होगा। मैं नहीं समझता कि रेलवे मंत्री इस प्रकार का संशोधनकारी विधान क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। रिजर्व की व्यवस्था एक तरफा यात्रा टिकटधारी के लिये अनिवार्य है, वापसी यात्रा अथवा सीजन टिकट के लिये नहीं है। फिर इस प्रकार का विभेद क्यों किया गया है। टिकटों की चोरबाजारी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास सरीखे बड़े नगरों में ही फैली हुई है। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने के बजाय यदि अधिक सतर्कता बरती जाये तो अधिक अच्छा होता। कई बार जाली नामों पर सीटें रिजर्व की जाती हैं और चार्ट में बताया जाता है कि सब सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। यथार्थ स्थिति यह होती है कि काफी सीटें खाली रहती हैं। यह रेलवे कर्मचारियों की सांठगांठ से होता है। उसे रोकने की आवश्यकता है। जब तक टिकट पर पहचान के संकेत नहीं रहेंगे—हस्ताक्षर, अथवा फोटू आदि—तब तक किसी युक्ति से यह प्रवृत्ति बनी रहेगी। आखिर टिकटों की चोरबाजारी क्यों होती है। इसका कारण रेलों में भीड़ ही है। आप कहीं जाइये—उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे—सर्वत्र रेलों में भीड़ है। हमें अधिक कीमत देकर टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों की निन्दा नहीं करना चाहिये। किसी व्यक्ति को अत्यन्त आवश्यक काम हो और यात्रा का कोई माध्यम अथवा साधन उपलब्ध न हो तो फिर अधिक कीमत देकर टिकट खरीदने के लिये किसी मुसाफिर को क्यों उत्तरदायी ठहराया जाये। किन्तु मौजूदा विधान द्वारा हम अधिक कीमत देने के लिये मुसाफिर को दंण्डित क्यों कर रहे हैं। रेलवे अपने कर्त्तव्य का भली प्रकार निर्वाह नहीं कर रही हैं। रेलवे मंत्री के लिये केवल एक ही विकल्प है—रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाना।

श्री मुत्तु गौंडर (तिरुपत्तूर) : मेरी शिकायत यह है कि रेलवे पर्याप्त डिब्बों और गाड़ियो की व्यवस्था नहीं कर सकी है। यात्रियों की संख्या २५ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जबकि सरकार केवल ५ प्रतिशत अधिक स्थानों की व्यवस्था कर रही है। जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी। टिकटों में चोर बाजारी चलती रहेगी। जब तक रेलवे तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए डिब्बों और गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ायेगी इस प्रकार के कानून बनाने से कोई विशेष लाभ न होगा। आज कल तीसरी श्रेणी के यात्री गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह सफर करते हैं। यह खेद

का विषय है कि स्वतंत्रता के पन्द्रह वर्ष बाद भी तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

रेलवे के कुछ अधिकारी टिकटों को चोर बाजारी में बेच रहे हैं। वाराणसी जंक्शन पर गत वर्ष दस रुपये अतिरिक्ता देकर टिकट लिया गया। कुछ मास पहले जब मैं अपने परिवार सहित दिल्ली से मद्रास जा रहा था तो मेरे पास दिल्ली से आगरा की टिकट थी। उस समय मैं आगरा से गाड़ी में बैठना चाहता था। परन्तु रेलवे अधिकारियों ने मुझे बैठने नहीं दिया। एक रेलवे अधिकारी ने मुझे बताया कि यदि आप पांच रुपये दे दें तो सब प्रबन्ध हो जायेगा। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। मैंने पांच रुपये दे दिये और मैं गाड़ी में बैठ सका। अतः रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार है। अतः मेरा यह निवेदन है कि किसी अधिकारी को दण्ड देने अथवा छोटे मोटे विधेयक पारित करने से काम न चलेगा। इस समस्या का तो केवल कोचों की संख्या में वृद्धि करने से ही समाधान हो सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य रिजर्वेशन में सुधार करना है। रिजर्वेशन की हालत आज उतनी बुरी नहीं है जितनी कि यहां बताई गई है। इसमें दोष यात्रियो का भी है क्योंकि वे यात्रा न करने पर अपना रिजर्वेशन रद्द नहीं करवाते, यहां तक कि हम संसद्-सदस्य भी कई बार इसकी परवाह नहीं करते।

प्रश्न केवल विधान लाने का ही नहीं बल्कि यातायात के नियंत्रण का उचित प्रशिक्षण देने का है। सियालदह में एक ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल था जिसे भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने धनबाद में बदल दिया। वहां ४० लाख रुपये की नई इमारत बनाई जा रही है। मैं समझ नहीं सका कि इस का कारण क्या है। मैंने माननीय मंत्री श्री दासप्पा को इस बारे में पत्र लिखा था परन्तु उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि १९६१ की रेलवे टेक्नीकल ट्रेनिंग स्कूल कमेटी ने सिफारिश की थी कि सियालदह के ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल को कल्याणी में बदल दिया जाय क्योंकि वहां कंचरपाड़ा वर्कशाप तथा नया विश्वविद्यालय है। मेरा निवेदन है कि सियालदह में प्रशिक्षण पाने वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ न की जाय।

देश में यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि लोग भ्रमण के लिये जाना चाहते हैं, कई बेरोजगार व्यक्ति रहते ही गाड़ियो में हैं तथा हमारी योजनाओं के लिये भी अधिक यात्रा का किया जाना आवश्यक है। अतः यातायात का नियंत्रण करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है। रेलवे टेक्नीकल स्कूल कमेटी की सिफारिश १९६१ में की गई थी जबकि परिस्थितियां आज से सर्वथा भिन्न थीं। अब वहां स्कूल के पास काफी जगह है क्योंकि वरिष्ठ सहकारी ऋण समिति तथा पुराने कंट्रोल आफिस ने कई कमरे खाली कर दिये हैं। इसलिये रेलवे बोर्ड को इस बारे में अपना निर्णय बदल लेना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इस संस्था को इसलिये न बदला जाय क्योंकि यह पश्चिम बंगाल या सियालदह में है बल्कि इसलिये कि यहीं ४०–४२ लाख रुपया कहीं और खर्च हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संस्था को सियालदह में ही रहने दें और १०–१२ लाख रुपया लगा कर वहीं उसका प्रसार करें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने इस विधेयक को स्वीकार करने के साथ साथ यह भी कहा है कि इससे सारी कठिनाइयां दूर नहीं

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

हो सकतीं। श्री नम्बियार ने कहा कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाय, उनमें अधिक डिब्बे लगाये जायें, उन्हें अधिक तेज चलाया जाय आदि। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। हम भी इन सारी बातों को मानते हैं परन्तु प्रश्न तो लाइनों की क्षमता का है। पिछले वर्ष हम ने दिल्ली से मद्रास तक १५, बम्बई से कोचीन तक २६, बम्बई से अहमदाबाद तथा वीरमगांव तक ६६, बम्बई से वाराणसी तक ६ तथा लखनऊ तक दो गाड़ियां चलाई थीं ।

श्री नम्बियार : इससे लगता है कि क्षमता है। क्षमता के बिना ये गाड़ियां कैसे चलाई जा सकती थीं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : परन्तु इससे हमें माल यातायात का त्याग करना पड़ता है इसलिये सदा ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मिली-जुली गाड़ियां क्यों नहीं चलाते, आधी माल गाड़ी और आधी सवारी गाड़ी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मिली-जुली गाड़ियां सवारी गाड़ियों से बहुत अधिक समय लेंगी क्योंकि सारे रास्ते में उनमें सामान चढ़ाया-उतारा जायेगा ।

श्रीमती विमला देवी : दो छत्तों वाली गाड़ियां क्यों न चलाई जायें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : शायद वह हाल ही में बम्बई में दो छत्तों वाली बसें देख कर आई हैं। पुलों, सुरंगों आदि का क्या होगा ?

जो कुछ संभव था हम ने किया है और कर रहे हैं ।

अब मैं तीन बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्री मोहसिन ने पूछा कि जिन एकतरफा यात्रा वाली टिकटों के लिये स्थान रक्षित नहीं होता उनके हस्तान्तरण पर दण्ड क्यों नहीं दिया जाता। इसके कई मान्य कारण हैं और १९४९ में संविधान सभा की प्रवर समिति ने भी इसका समर्थन किया था। रेलवे के लिये जगह देना तभी आभार्य है जबकि रिजर्वेशन हो चुका हो। जब कोई व्यक्ति एकतरफा यात्रा का टिकट लेता है तो उसके सामने तीन रास्ते हैं। या तो गाड़ी चलने के तीन घंटे के अन्दर वह अपने पैसे वापिस ले ले, या अगर उसने जाना ही है तो निचले दर्जे में चला जाए और बाकी के पैसे ले और या फिर जैसा भी बन पड़े चला जाए। यदि हम ऐसी टिकटों को भी ले लें जिनके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है तो बड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिये हम केवल एकतरफा यात्रा की टिकटों में, जिनका रिजर्वेशन होता है, व्यापार करने वालों को ही दण्ड देते हैं।

दूसरी बात धारा ६७ के सम्बन्ध में है जिसमें ऐसे मामलों का उपबन्ध है जिनमें उन गाड़ियों के लिये टिकटें दे दी जाती हैं जिनमें अतिरिक्त यात्रियों के लिए जगह नहीं होती। धारा ६७ की उप-धारा (१) से स्पष्ट है कि टिकट बेचने के बाद भी गाड़ी में जगह देना रेलवे के लिये आभार्य नहीं है। उपधारा (२) में कहा गया है कि जिस गाड़ी का टिकट दिया गया हो उसमें जगह न मिलने पर गाड़ी के चलने के तीन घंटे के अन्दर टिकट वापिस करके यात्री को तुरन्त अपने पैसे लेने का अधिकार है। उपधारा (३) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे दर्जे का टिकट लेता है परन्तु उसमें जगह न मिलने पर निचले दर्जे में यात्रा करता है तो वह दोनों किरायों का अन्तर ले सकता है।

यात्रा एजेंटों के बारे में भी कुछ भ्रम है। कई संशोधनों का उद्देश्य इस खण्ड को निकालना है। इसे निकालना नहीं चाहिये क्योंकि तीन तरह के एजेंट हैं और उनके अपने अपने विशिष्ट काम हैं। इस समय उन्हें कोई कोटा नहीं दिया गया है।

१९५९ में वाणिज्यिक समिति की सिफारिशों के आधार पर ट्रेवल एजेंटों के लिये रिजर्वेशन कोटे निर्धारित नहीं किये जाते हैं। जिन गाड़ियों के लिये रिजर्वेशन की मांग अधिक है, सामान्य जनता के साथ साथ ट्रेवल एजेंटों के लिये स्थानों के आरक्षण के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। उन एजेंटों को जो रेल के छोरों से दूरस्थ स्थानों के बीच नियमित रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करते हैं कुछ मामलों में कोटे निर्धारित किये जाते हैं। ये कोटे सम्बन्धित रेलवे प्रशासनों द्वारा मांग तथा स्थानों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं। बड़े शहरों में बुकिंग एजेंटों को तीसरी श्रेणी के सोने तथा बैठने के स्थानों के कुछ कोटे दिये जाते हैं। यदि इन कोटों का रेलगाड़ी के छूटने से ५ दिन पहले तक उपयोग नहीं किया जाता है तो ये कोटे रेलवे प्रशासन आम जनता के उपयोग के लिये प्रयोग में ला सकता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि ट्रेवल एजेंट अपने कोटे का दुरुपयोग करते हैं। उनके साथ कोई विशेष व्यवहार भी नहीं किया जाता है। रेलवे पर हुए अपराध के लिये हमें जी० आर० पी० पर निर्भर करना पड़ता है जो राज्य सरकारों के अधीन हैं। यदि किसी मामले में जी० आर० पी० रेलवे कर्मचारियों से सहयोग नहीं करती है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अधिक जानकारी दिये जाने पर हम ऐसे मामलों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत करके उनमें अधिक सहयोग स्थापित करने के लिये अवश्य ही कोई कार्यवाही करेंगे।

यह बड़े खेद की बात है कि रेलवे पास धारी अपना रिजर्वेशन रद्द कराने की कोशिश नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप यात्री गाड़ियों में काफी स्थान खाली पड़े रहते हैं और अन्य जरूरतमन्द लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम इस मामले में कड़ा दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं। यदि वे लोग अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो उनको भी साधारण नागरिक की तरह अपना रिजर्वेशन रद्द न करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। हम ऐसा कदम उठाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि संसद् सदस्य भी यात्रा न करने की स्थिति में अपने रिजर्वेशन रद्द कराने की कृपा करेंगे। अब चार से अधिक स्थानों के रिजर्वेशन की अनुमति नहीं है और उन चार व्यक्तियों के नाम तथा ठीक पते भी देने पड़ते हैं। इन नामों की जांच पड़ताल की जाती है। यात्रियों की सहायता से ही जाली नामों का पता लगाया जा सकता है और इस बुराई को समाप्त किया जा सकता है।

श्री नम्बियार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के प्रति रेलवे प्रशासन उतना ही जागरूक है जितना कि अन्य कोई व्यक्ति। हम उनको सन्तुष्ट रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उस मामले में कोई गलत कार्यवाही नहीं की गई है। इन मामलों की कई बार जांच की जा चुकी है और उनमें कोई गलती नहीं पाई गई है। धारा १४९ के अधीन नौकरी से हटाये गये व्यक्तियों को बहाल इसलिये नहीं किया जा सका है कि उन्होंने सीमा विधि की धारा १२० के अनुसार ६ वर्ष के अन्दर **बहाल किये जाने** के लिये आवेदन नहीं किया है। हमें देश की विधियों का पालन करना होता है, अतः **ऐसे मामलों में** और आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री मोहसिन ने यह आपत्ति उठाई है कि प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत टिकट खरीदने वाला टिकट बेचने वाले की अपेक्षा अधिक घाटे की स्थिति में रहेगा। कानून की दृष्टि में वे दोनों समान हैं और हमारा उद्देश्य टिकट बेचने वाले तथा टिकट खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों को ही दण्ड देने का है।

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

जैसे ही लोगों को मालूम हो जायेगा कि अप्राधिकृत एजेंटों से टिकट खरीदना अवैध कार्य है और उनको ऐसा करने पर सजा दी जा सकती है और उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है तो कोई भी व्यक्ति उनसे टिकट खरीदने का साहस नहीं करेगा। इसलिये यह बुराई धीरे धीरे समाप्त हो जायेगी। प्रस्तावित विधेयक का यही उद्देश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खण्ड २—(धारा ६६ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड ३

श्री कृ० ल० मोरे : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

श्री सें० वें० रामस्वामी : माननीय सदस्य के संशोधन का उद्देश्य, बारात, छात्र दलों आदि के मामलों में टिकटों तथा रिजर्वेशन के हस्तांतरण की अनुमति देना है। यह बहुत सीमित है। इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि यह हस्तांतरण उसी गाड़ी से अथवा उसी दिन किया जाना चाहिये। प्रस्तावित खण्ड २ का परन्तुक काफी व्यापक है और माननीय सदस्य का उद्देश्य उससे पूरा हो जायेगा। अतः इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड ४

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृ० ल० मोरे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) विधेयक

DURGAH KHAWAJA SAHEB (AMENDMENT) BILL

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारितरूप में, विचार किया जाये।"

यह एक सीधा सादा विधेयक है जो कि एक कमी को पूरा करने के लिये लाया गया है। वर्तमान अधिनियम में यह उपबन्ध है कि प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति दरगाह के संधारण के लिये पैसा वसूल नहीं कर सकता है। उसमें यह भी उपबन्ध है कि दरगाह के अहाते में वसूल किया गया धन दरगाह पर ही खर्च किया जायेगा और किसी व्यक्ति के निजी प्रयोजन के लिये उसको इस्तमाल नहीं किया जा सकता है। परन्तु इन उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता रहा है। अतः इस संशोधन विधेयक द्वारा गैर-कानूनी वसूली को दण्डनीय अपराध बनाया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में

[श्री हूमायून् कबिर]

यह भी उपबन्ध है कि दरगाह की ओर से और विधि के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा। ऐसा उन अधिकारियों को अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली किसी कठिनाई से बचाने के लिये किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि राज्य सभा की तरह यह सभा भी इस सीधे सादे विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There is a provision in this Bill that "whoever solicits or receives any nazare or offerings in contravention of the provisions of sub-section(1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees." I fear that innocent persons offering nazare for the cure of their ills may be implicated under this legislation along with the wrong person receiving such nazare for no fault of theirs. It is our duty to protect all religious places whether of Muslims, Hindus, Sikhs or Christians. But the law should not be misused and undesirable elements should not be allowed to take bribes from the innocent pilgrims visiting these durgahs.

During the recent communal disturbances in Calcutta some persons forcefully entered the durgah of Maulali and tried to impair it. These holy shrines remind us of the great saints and sages of India and are symbols of Hindu-Muslim unity. Government should, therefore, take every care to protect these holy shrines. No tax should be charged from the pilgrims visiting the durgah of Ajmer Sharif, to avoid any inconvenience to those people. The holy places of the Hindus and Sikhs are not being properly looked after in Pakistan. Even in Russia, which has no faith in any religion, the religious places are very well looked after. Therefore in a country like India, which believes in secularism, the religious places of persons of all denominations should be fully protected to serve as an example for Pakistan.

With these words I fully support this Bill.

Shri Shyam Lal Saraf (Nominated—Jammu and Kashmir) : Sir, I rise to support this Bill whole heartedly.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ६ मई, १९६४/१६ वैशाख, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 6th May, 1964/Vaisakha 16, 1886 (Saka).

GMGIPND—3rd—727 (ai) LSD—14-7-64—600.